वित्‍त मंत्रालय

केन्‍द्रीय बजट 2019-20 की प्रमुख विशेषताएं

केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज अपना पहला बजट भाषण पढ़ा और संसद में 2019-20 का बजट पेश किया। बजट की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

दशक के लिए दस बिन्‍दु की परिकल्पना

Ø जन भागीदारी से टीम इंडिया का निर्माण : न्‍यूनतम सरकार अधिकतम शासन।

Ø हरी-भरी पृथ्‍वी और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्‍त भारत बनाना।

Ø डिजिटल इंडिया को अर्थव्‍यवस्‍था के प्रत्‍येक क्षेत्र तक पहुंचाना।

Ø गगनयान, चन्‍द्रयान, अन्‍य अंतरिक्ष और उपग्रह कार्यक्रमों की शुरूआत।

Ø वास्‍तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।

Ø नीली अर्थव्‍यवस्‍था।

Ø खाद्यान्‍नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्‍मनिर्भरता और निर्यात।

Ø आयुष्‍मान भारत, पोषणयुक्‍त मां और बच्‍चा के जरिए स्‍वस्‍थ समाज की स्‍थापना, नागरिकों की सुरक्षा।

Ø एमएसएमई, मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्‍टार्ट-अप्‍स, रक्षा निर्माण, मोटर वाहनों, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, वस्‍त्रों और बैटरियों तथा चिकित्‍सा उपकरणों पर जोर।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था की ओर

Ø वित्‍त मंत्री ने कहा कि लोगों के दिलों में आशा, विश्‍वास और आकांक्षा है।

Ø वर्तमान वर्ष में भारत की अर्थव्‍यवस्‍था 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी।

Ø सरकार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाना चाहती है।

Ø उद्योग जगत भारत का रोजगार सृजक और देश का संपदा सृजनकर्ता है।

Ø निम्‍न में निवेश की आवश्‍यकता है :

o बुनियादी ढांचा

o डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था

o छोटी और मझोली कंपनियों में नौकरियों का सृजन

Ø निवेश का उत्‍कृष्‍ट दौर शुरू करने के लिए अनेक पहलें प्रस्‍तावित।

Ø ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए मुद्रा ऋणों के जरिए जन सामान्‍य के जीवन में बदलाव।

Ø एमएसएमई से जुड़े उपाय :

o प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना

Ø सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ।

Ø नामजदगी की प्रक्रिया सरल, केवल आधार, बैंक खाता और स्‍व-घोषणा की आवश्‍यकता।

o एमएसएमई की ब्‍याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्‍याज सब्सिडी (ताजा और वृद्धिशील ऋण) के लिए वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।

o एमएसएमई के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि बिलों का भुगतान हो सके, ताकि सरकारी भुगतानों में देरी को खत्‍म किया जा सके।

o मार्च 2019 में शुरू नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएसी) मानकों पर आधारित परिवहन के लिए भारत की पहली देश में विकसित प्रणाली।

o रूपे कार्ड पर चलने वाला इंटर ओपरेबल परिवहन कार्ड और यह धारक को बस में यात्रा करने, टोल टैक्‍स देने, पार्किंग शुल्‍क देने, रिटेल शॉपिंग की इजाजत देता है।

Ø हर प्रकार की वास्‍तविक कनेक्टिविटी को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है:

o प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

o औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल-भाड़ा गलियारा।

o भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं, जलमार्ग विकास और उड़ान योजनाएं।

Ø भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्‍य सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

Ø जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिए साहिबगंज और हल्दिया में दो टर्मिनल तथा फरक्‍का में एक नेवीगेशनल लॉक का कार्य 2019-20 में पूरा हो जाएगा।

Ø गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही अगले चार वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ जाने का अनुमान है, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही सस्‍ती होगी और आयात बिल में कमी आएगी।

Ø वर्ष 2018-2030 के दौरान रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्‍यकता होगी।

Ø पटरियों के तेजी से विकास और उन्‍हें बिछाने, रोलिंग स्‍टॉक विनिर्माण तथा यात्री माल-भाड़ा सेवा की सुपुर्दगी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्‍ताव।

Ø देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क की 657 किलोमीटर लाइन चालू।

Ø विमानन क्षेत्र में आत्‍मनिर्भरता हासिल करने के लिए रख-रखाव, मरम्‍मत और ओवरहॉल के विकास के लिए नीतिगत हस्‍तक्षेप।

Ø अपनी जमीन से विमानों के वित्‍त पोषण और उन्‍हें पट्टे पर देने का केन्‍द्र बनाने के लिए भारत को विनियामक रोडमैप के अनिवार्य तत्‍व क्रियान्वित करन।

Ø एफएएमई योजना के दूसरे चरण के लिए मंजूर 3 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का व्‍यय।

Ø इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित करने के उद्देश्‍य से खरीद और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए बढ़े हुए प्रोत्‍साहन का प्रस्‍ताव।

Ø एफएएमई योजना के अंतर्गत केवल अत्‍याधुनिक बैट्री चालित और पंजीकृत ई-वाहनों को ही प्रोत्‍साहन।

Ø राष्‍ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जाएगी, ताकि एक राष्‍ट्रीय राजमार्ग ग्रिड सुनिश्चित की जा सके।

Ø एक राष्‍ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत किफायती दरों पर राज्‍यों को बिजली।

Ø गैस ग्रिड, जल ग्रिड, अंतर्देशीय जलमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए ब्‍लू प्रिंट उपलब्‍ध कराया जाए।

Ø अधिकार प्राप्‍त उच्‍च स्‍तरीय समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए।

Ø पुराने और कार्य नहीं कर रहे संयंत्रों को बंद किया जाए।

o प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के कम इस्‍तेमाल की समस्‍या दूर करना।

· उज्‍ज्‍वल वितरण कंपनियां आश्‍वासन योजना के अंतर्गत औद्योगिक और ऊर्जा का अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्‍ताओं के लिए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, खुली पहुंच वाली बिक्री पर अनावश्‍यक शुल्‍क हटाया जाएगा।

· बिजली क्षेत्र शुल्‍क और ढांचागत सुधारों की जलद घोषणा की जाएगी।

· किराये के मकानों की बेहतरी के लिए सुधारात्‍मक उपाय किये जाएंगे।

· मॉडल किराया कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्‍यों को भेजा जाएगा।

· संयुक्‍त विकास और रियायत तंत्र का इस्‍तेमाल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा और केन्‍द्र सरकार तथा सीपीएसई द्वारा रखी गई भूमि पर सस्‍ते मकान बनाए जाएंगे।

· अवसंरचना के वित्‍त पोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के उपाय :

o वर्ष 2019-20 में क्रेडिट गांरटी वर्धन निगम की स्‍थापना की जाएगी।

o अवसरंचना क्षेत्र पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए बाजार को गहन करने सहित दीर्घकालिक बॉन्‍डों के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।

o एफआईआई /एफपीआई द्वारा किए गए निवेश (आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों में) को विनिर्दिष्‍ट लॉकिंग अवधि के भीतर किसी घरेलू निवेश का प्रस्‍तावित अंतरण/ बिक्री

· बॉन्‍ड बाजार को गहन करने के उपाय:

o स्‍टॉक एक्‍सचेंजों को लेटरल के रूप में एए दर्जे वाले बॉन्‍ड की अनुमति देने में सक्षम बनाना।

o कॉरपोरेट बॉन्‍ड के लिए ट्रेडिंग प्‍लेटफॉर्म की उपयोग सुलभता की समीक्षा होगी।

· सोशन स्‍टॉक एक्‍सचेंज:

o सेबी के विनियामक दायरे में इलैक्‍ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्‍लेटफॉर्म

o सामाजिक उद्यमों और स्‍वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करना।

o इक्विटी, ऋण या म्‍यूचअल फंड जैसी यूनिटों की तरह पूंजी जुटाना।

· सेबी सूचीबद्ध कंपनियों में न्‍यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर विचार करेगा।

· विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों को निवेशकों के अधिक से अधिक अनुकूल बनाना।

· राजकोषीय हुंडियों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए खुदरा निवेशक लाने के लिए सरकार स्‍टॉक एक्‍सचेंजों का इस्‍तेमाल करते हुए संस्‍थागत विकास सहित आरबीआई के प्रयासों को पूर्णत: प्रदान करेगी।

· भारत को प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश का और अधिक आकर्षक गंतव्‍य स्‍थल बनाने के उपाय

o सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके विमानन, मीडिया (एनीमेशन एवीजीसी) और बीमा क्षेत्र को एफडीआई के लिए और अधिक खोला जा सकता है।

o बीमा मध्‍यस्‍थताओं को 100 प्रतिशत एफडीआई।

o एकल बॉन्‍ड के खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्‍थानीय स्रोत के मापदंडों को आसान बनाना।

· सरकार राष्‍ट्रीय अवसरंचना निवेश निधि (एनआईआईएफ) का उपयोग करके सभी तीनों श्रेणियों के वैश्विक प्रतिस्‍पर्धियों (पेंशन, बीमा, सम्‍प्रभु सं‍पत्ति निधियां) वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्‍मेलन का आयोजन करेगी।

· एफपीआई निवेश के लिए वैधानिक या सांविधिक सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्‍ताव है। संबंधित कॉरपोरेटों को न्‍यूनतम सीमा राशि सीमित करने का विकल्‍प दिया जाता है।

· एफपीआई को अवसंरचना निवेश न्‍यास, रियल एस्‍टेट निवेश न्‍यास द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को सब्‍सक्राइब करने की अनुमति

· एनआरआई पोर्टफोलियों निवेश योजना मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग में विलय का प्रस्‍ताव।

· अवसंरचना निवेश न्‍यास, रियल एस्‍टेट निवेश न्‍यास जैसी नई और नवोन्‍मेषी लिखतों और साथ ही साथ टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) के जरिए जुटाए गए संचयी संसाधन 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

· न्‍यू स्‍पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, जिसे अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है।

· लॉच व्‍हीकल का उत्‍पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्‍पादों का विपणन जैसे उत्‍पादों के वाणिज्यिकरण जैसे इसरो द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास के लाभों को उपयोग में लाना।

· प्रत्‍यक्षकर

· 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर दी दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई।

· 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तथा 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की करयोग्‍य आय वाले व्‍यक्तियों पर अधिभार बढ़ाया गया।

· ‘कर भुगतान’ की श्रेणी में भारत की कारोबार करने की सुगमता वाली रैंकिंग 2017 में 172 से 2019 में 121 हो गई।

· पिछले पांच वर्षों में प्रत्‍यक्षकर राजस्‍व 78 प्रतिशत से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया।

· कर सरलीकरण और जीवन में सुगमता- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अनुपालन को सुगम बनाना।

· पैन और आधार में आपसी अदला-बदली

o जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

o जहां पैन की आवश्‍यकता है वहां आधार इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

· पहले से भरी हुई आयकर विवरणियां दाखिल करना

o आय और कटौती सहित पहले से भरी हुई कर विवरणियां कर दाताओं को उपलब्‍ध कराई जाएगी।

o बैंकों स्‍टॉक एक्‍सचेंजों म्‍यूचुअल फंडों से सूचना जुटाई जाएगी।

· व्‍यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण

o व्‍यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण लागू किया जाएगा।

o शुरूआत में उन मामलों में ई-निर्धारण किया जाएगा जहां कुछ खास लेन-देनों या विसंगतियों का सत्‍यापन करना जरूरी है।

· किफायती आवास

o 45 लाख रुपए तक के मूल्‍य वाले मकान की खरीद पर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि तक के लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्‍याज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्‍त कटौती।

o 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रुपए का समग्र लाभ।

· इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्‍साहन

o इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्‍याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्‍त आयकर कटौती।

o इलैक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर सीमा शुल्‍क में छूट।

· अन्‍य प्रत्‍यक्षकर उपाय

· कर दाताओं की वास्‍तविक कठिनाईयों में कमी लाने के लिए कर कानूनों का सरलीकरण।

· कर रिटर्न दाखिल न करने के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु अधिकतम कर सीमा।

· आयकर अधिनिमय की धारा 50सीए और 56 के दुर्व्‍यवहार विरोधी प्रावधानों से उचित श्रेणियों के व्‍यक्तियों को छूट।

· स्‍टार्ट-अप्‍स के राहत

· स्‍टार्ट-अप्‍स में निवेश के लिए रिहायशी मकान की बिक्री से उत्‍पन्‍न पूंजीगत लाभ में छूट 2021 तक बढ़ाई गई।

· एंजल टैक्‍स का मामला सुलझाया गया - आवश्यक घोषणा दाखिल करने वाले और अपनी रिटर्न में जानकारी उपलब्ध कराने वाले स्टार्ट-अप्स तथा उनके निवेशक शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के बारे में किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी।

· स्‍टार्ट-अप्‍स द्वारा जुटाए गए धन को आयकर विभाग द्वारा किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं होगी।

o निवेशक और धनराशि के स्रोत की पहचान स्‍थापित करने के लिए ई-सत्‍यापन व्‍यवस्‍था।

· लंबित आकलनों और शिकायत निवारण के लिए विशेष प्रशासनिक प्रबंध।

o सुपरवाइज़री अधिकारी की अनुमति के बिना आकलन अधिकारी ऐसे मामलों में जांच नहीं कर सकेगा।

· श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष को जारी शेयरों के मूल्‍यांकन की जांच नहीं।

· हानियों को आगे ले जाने और समायोजित करने की कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्‍ताव किया।

एनबीएफसी

· जमा राशि लेकर खास बैड अथवा संदिग्ध ऋणों पर ब्याज के साथ-साथ महत्वपूर्ण जमा राशि पर वर्ष में कर लगाना, जिसमें वास्तव में ब्याज प्राप्त किया गया हो।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी)

· आईएफएससी के लिए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गयाः

o 15 वर्ष की अवधि में किसी 10 वर्ष के ब्लॉक में 100 प्रतिशत मुनाफा आधारित कटौती

o कंपनियों को मौजूदा और कुल आय और म्युचुअल फंडों से लाभांश वितरण कर से छूट

o श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि के लिए पूंजी प्राप्तियों पर छूट

o अप्रवासियों से ऋण लेने पर ब्याज भुगतान में छूट

प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी)

· एसटीटी केवल विकल्पों के इस्तेमाल के मामले में निपटारा और स्ट्राइक प्राइस के बीच अंतर तक सीमित है।

अप्रत्यक्ष कर

मेक इन इंडिया

· काजू, पीवीसी, टाइल, मोटरवाहन के पुर्जे, संगमरमर, ऑप्टीकल फाइबर केबल, सीसीटीवी कैमरा आदि पर आधारभूत सीमा शुल्क कर में वृद्धि।

· भारत में अब निर्मित होने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक मदों पर सीमा शुल्क कर में छूट वापस ली गई।

· पाम स्टीरीन, वसायुक्त तेलों पर अंतिम उपभोग आधारित छूट वापस ली गई।

· विभिन्न प्रकार के कागजों पर छूट वापस ली गई।

· आयातित पुस्तकों पर 5 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क लगाया गया।

· निम्नलिखित कुछ कच्चे मालों पर सीमा शुल्क घटाया गयाः

o कृत्रिम किडनी के औजारों, डिस्पॉजिबल स्टर्लाइज्ड डाइलिसर और परमाणु बिजली संयंत्र आदि के लिए ईंधन

o विशेष इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्री

रक्षा

· ऐसे रक्षा उपकरणों पर आधारभूत सीमा शुल्क से छूट, जिनका निर्माण भारत में नहीं हुआ हो।

अप्रत्यक्ष कर के अन्य प्रावधान

· कच्चे और अर्ध-परिष्कृत चमड़े पर निर्यात कर को सुसंगत बनाया।

· पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना अधिशेष में वृद्धि।

· सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि।

· केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर में जीएसटी व्यवस्था से पहले लंबित मुकदमें की शीघ्र समाप्ति हेतु लिगेसी विवाद निपटारा योजना।

ग्रामीण भारत

· उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के रहन-सहन में सुधार हुआ है और इससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है।

· सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा।

· प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य तक पहुंचना।

o इसके दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22) में, पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

o प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्यपालन प्रबंधन संरचना स्थापित की जाएगी।

o अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक अंतर को हल करना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

o पात्र और व्यवहार्य आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने की गति तेज करने के लिए इन्‍हें पूरा करने का निर्धारित लक्ष्‍य 2022 से कम करके 2019 किया गया है। ऐसे 97 प्रतिशत आवास स्थलों को सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है।

o हरित प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक और शीत मिश्रित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 30,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा।

पारम्परिक उद्योग उन्नयन एवं पुनर्जीवन निधि योजना (एसएफयूआरटीआई)

o रोजगार के टिकाउ अवसरों के सृजन के लिए पारम्परिक उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभदायक एवं सक्षम बनाने के लिए कलस्टर आधारित विकास में आसानी के लिए साझा सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किए जाएंगे।

o 2019-20 के दौरान बांस, शहद और खादी पर विशेष जोर देते हुए 100 नये कलस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल हो सकेंगे।

नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता बढ़ावा योजना (एएसपीआईआरई) को अंतिम रूप दिया गया।

o 2019-20 में 80 आजीविका व्यापार इंक्यूबेटर (एलबीआई) और 20 औद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए जाएंगे।

o कृषि – ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 उद्यमियों को कौशल प्रदान किया जाएगा।

· किसानों के उत्पादों को उनके खेतों से मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने और संबंधित क्रियाकलापों में लगे निजी उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।

· पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना तैयार करके सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूथ उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

· किसानों की बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।

· सरकार ई-नाम से किसानों को लाभान्वित करने के क्रम में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।

· जीरो बजट फार्मिंग, जिसमें कुछ राज्यों के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भारत में जल सुरक्षा

o नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करेगा।

o जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

o स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।

इसके लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ मिलाया जाएगा।

o जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है।

o इस उद्देश्‍य के लिए क्षतिपूर्ति वन्‍यकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि का उपयोग किया जा सकता है।

· स्‍वच्‍छ भारत अभियान

o 2 अक्‍तूबर 2014 से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया।

o 5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्‍त(ओडीएफ) हुए।

o प्रत्‍येक गांव में सतत ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन चलाने के लिए स्‍वच्‍छ भारत मिशन का विस्‍तार किया जाएगा।

· प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

o दो करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया गया।

o ग्रामीण और शहरी भेद को दूर करने के लिए भारत नेट के तहत प्रत्‍येक पंचायत में स्‍थानीय निकायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है।

o पीपीपी प्रबंध के तहत वैश्विक दायित्‍व निधि का भारत नेट को गति प्रदान करने में उपयोग किया जाएगा।

· शहरी भारत/अर्बन इंडिया

· प्रधानमंत्री आवास योजना –शहरी(पीएमएवाई-अर्बन)

o लगभग 81 लाख घरों के निर्माण के लिए 4.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई। इनमें 47 लाख घरों में निर्माण कार्य शुरू हुआ।

o 26 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण पूरा हुआ और लगभग 24 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे गए।

o नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अभी तक 13 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण हुआ।

· 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को भी खुले में शौच से मुक्‍त घोषित किया गया।

· लगभग एक करोड़ नागरिकों ने स्‍वच्‍छता एप्‍प डाउनलोड किया है।

· 2 अक्‍तूबर 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए गांधी जी के स्‍वच्‍छ भारत के संकल्‍प को अर्जित करने का लक्ष्‍य

o इस अवसर के उपलक्ष्‍य में 2 अक्‍तूबर 2019 को गांधी दर्शन, राजघाट में राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छता केन्‍द्र का उद्घाटन किया जाएगा।

o युवाओं और समाज को सकारात्‍मक गांधीवादी मूल्‍यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्‍ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी पीडिया का विकास किया गया है।

· रेलवे को दिल्‍ली–मेरठ मार्ग पर प्रस्‍तावित रेपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्‍टम(आरआरटीएस) जैसे एसटीवी निर्माणों के माध्‍यम से उपशहरी रेलवे में अधिक निवेश के लिए प्रोत्‍साहित किया जा रहा है।

· निम्‍न के द्वारा मेट्रो रेलवे के प्रयासों को बढ़ाने का प्रस्‍ताव है-

o अधिक से अधिक पीपीपी पहलों को प्रोत्‍साहित करना।

o स्‍वीकृत कार्य निश्चित रूप से पूरे करना।

o ट्रांजिट केन्‍द्रों के आसपास व्‍यापारिक गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए सहायक ट्रांजिट जनित विकास (टीओडी)

युवा

· निम्‍नलिखित प्रस्‍तावों के साथ नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी।

o स्‍कूल और उच्‍च शिक्षा दोनों में प्रमुख परिवर्तन।

o बेहतर शासन प्रणालियां

o अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्‍यान देना

· राष्‍ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्‍ठान(एनआरएफ) में प्रस्‍ताव किया गया है-

o देश में अनुसंधान को धन उपलब्ध, समन्‍वय और बढ़ावा देना।

o विभिन्‍न मंत्रालयों द्वारा दी गई स्‍वतंत्र अनुसंधान अनुदान का उपयोग।

o देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थिकी को मजबूत बनाना।

o अतिरिक्‍त निधियों के साथ इसे पर्याप्‍त रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

o वित्‍तवर्ष 2019-20 के लिए ‘विश्‍व स्‍तर के संस्‍थानों’ हेतु 400 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराए गए, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुणा से अधिक हैं।

· ‘भारत में अध्‍ययन’ के तहत विदेशी छात्रों को भारत के उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में पढ़ाई हेतु लाना।

· उच्‍च शिक्षा की नियामक प्रणालियों में व्‍यापक रूप से सुधार लाना।

o अधिक स्‍वायत्‍ता को बढावा देना।

o बेहतर शैक्षिक परिणामों पर ध्‍यान देना।

· भारत उच्‍च शिक्षा आयोग (एचईसीएल) स्‍थापित करने के लिए मसौदा विधायी पेश करना है।

· खेलो इंडिया योजना का सभी आवश्‍यक वित्‍तीय सहायता के साथ विस्‍तार करना।

· खेलों को सभी स्‍तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत खिलाडि़यों के विकास हेतु राष्‍ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्‍थापना।

· भाषा प्रशिक्षण, एएल, एलओटी, बिग डाटा, 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रीयल्‍टी और रोबोटिक्‍स सहित वैश्विक मूल्‍य कौशल सैट के बारे में युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार करने के बारे में अधिक ध्‍यान दिया जाएगा।

· पंजीकरण को मानकीकृत और सरल बनाने तथा रिटर्न फाइल करने के लिए विविध श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिए चार श्रम कोड के सैट का प्रस्‍ताव किया गया है।

· दिल्‍ली दूरदर्शन के चैनलों पर स्‍टार्ट अप्‍स के लिए और उनके ही द्वारा विशेष रूप से एक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रस्‍ताव है।

· 2020-25 अवधि के लिए स्‍टार्टअप इंडिया योजना जारी रहेगी। बैंक मांग आधारित व्‍यापार के लिए वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध करायेंगे।

जीवन सरल बनाना

· लगभग 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजना में शामिल हो गए हैं। इस योजना के तहत असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के मजदूरों को 60 साल की उम्र होने पर पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है।

· उज्‍जवला योजना के तहत लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्‍ब बांटे गए, जिससे वार्षिक रूप से 18,341 करोड़ रुपये की लागत बचत हुई।

· एलईडी बल्‍ब मिशन की पहुंच का उपयोग करते हुए सोलर स्‍टोव और बैटरी चार्जरों को बढ़ावा देना।

· रेलवे स्‍टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए व्‍यापक कार्यक्रम शुरू किए गए।

नारी तू नारायणी/महिला

· महिला नेतृत्‍व पहलों और आंदोलनों के लिए महिला केन्द्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव

· लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ एक समिति प्रस्‍तावित की गई है।

· एसएचजी

o सभी जिलों में महिला एसएचजी हित बढ़ोत्‍तरी कार्यक्रम का विस्‍तार करने का प्रस्‍ताव है।

o जनधन बैंक खाता रखने वाली प्रत्‍येक सत्‍यापित महिला एसएचजी सदस्‍य को 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी।

भारत का सॉफ्ट पावर

· भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए भारत आगमन पर 180 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बगैर आधार कार्ड जारी करने का प्रस्‍ताव।

· पराम्‍परिक व्‍यवसाय से जुड़े भारतीय कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए आवश्‍यक पेटेंट और भौगोलिक संकेतक उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव।

· मार्च, 2018 में सरकार ने अफ्रीका में 18 नये उच्‍चायोग खोलने को मंजूरी दी थी, इनमें से पांच खोले जा चुके हैं और अन्‍य चार दूतावास 2019-20 में खोले जाएंगे।

· भारत विकास सहयोग योजना (आईडीईएएस) को नया रूप देने का प्रस्‍ताव।

· विश्‍व स्‍तरीय पर्यटन स्‍थलों के मॉडल के रूप में देश के 17 प्रमुख पर्यटन स्‍थलों को विकसित किया जा रहा है।

· देश की समृद्ध जनजातीय सांस्‍कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मौजूदा डिजिटल डाटाओं के संग्रह को और सशक्‍त बनाना।

बैंक और वित्‍तीय क्षेत्र

· पिछले एक वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों के फंसे कर्ज में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई। पिछले चार वर्षों में चार लाख करोड़ से अधिक की कर्ज वसूली हुई।

· सात वर्षों में प्रावधान कवरेज अनुपात सात वर्षों में अपने उच्‍चतम स्‍तर पर।

· घरेलू ऋण वृद्धि दर बढ़कर 13.8 प्रतिशत पर पहुंची।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए किए गए उपाय :

· ऋण क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव।

· ऑनलाइन व्‍यक्तिगत ऋण, घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहक द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्‍त करने के लिए बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल को बढ़ावा देना।

· खाताधारकों को किसी अन्‍य द्वारा उनके खातों में जमा की गई राशि पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्‍त बनाने के उपाय करना।

· सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को सशक्‍त बनाने के लिए सुधार।

गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

· वित्‍त विधेयक में गैर-बैंकिंग कंपनियों पर रिजर्व बैंक के विनियामक अधिकारों को सशक्‍त बनाने का प्रस्‍ताव।

· एनबीएफसी को पब्लिक इश्‍यू के जरिये धन जुटाने के लिए डीआरआर का सृजन करने की आवश्‍यकता समाप्‍त कर दी जाएगी।

· सभी गैर-बैंकिंग कंपनियोंको टीआरईडीएस प्‍लेटफॉर्म में सीधे भाग लेने की अनुमति देने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

· आवास संबंधी सभी वित्‍तीय क्षेत्र के विनियमन का अधिकार, एनएचबी से लेकर वापस आरबीआई को सौंपने का प्रस्‍ताव।

· अगले पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना।

· एनपीएस ट्रस्‍ट को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अलग रखने के प्रयास किये जाएंगे।

· नेट ओन्‍ड फंड की जरूरत को 5,000 करोड़ से कम करके 1,000 करोड़ करने का प्रस्‍ताव।

· देश में अंतर्राष्‍ट्रीय बीमा कारोबार की सुविधा प्रदान करने का प्रस्‍ताव।

· अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सेवा केन्‍द्रों में विदेशी बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने की व्‍यवस्‍था।

गैर-वित्‍तीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्‍ठान

· सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश के जरिये 1,05,000 करोड़ रुपये प्राप्‍त करने का लक्ष्‍य रखा है।

· सरकार एयर इंडिया में विनिवेश की रणनीति फिर से शुरू करेगी और निजी क्षेत्रों को और साथ ही निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी सीपीएसई को मौका देगी।

· सरकार पीएसयू की रणनीतिक बिक्री का भी रास्‍ता अपनाएगी तथा गैर-वित्‍तीय क्षेत्रों में पीएसयू को मजबूत तथा सुसंगठित बनाये रखने का काम जारी रहेगी।

· सरकार पीएसयू में अपनी हिस्‍सेदारी 51 प्रतिशत बनाये रखने की नीति में आवश्‍यकता आने पर संशोधन करने पर विचार कर रही है।

· सरकार द्वारा 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी कम करने के मामले में सरकार के नियंत्रण वाले संस्‍थानों की हिस्‍सेदारी को भी शामिल किया जाएगा।

· निवेश के लिए अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍था।

o सरकारी सीपीएसई में अपनी हिस्‍सेदारी को फिर से ठीक करने की तैयारी में।

o बैंक अपने शेयरों की ज्‍यादा बिक्री के जरिये बाजार में अपनी पैठ बनाने की तैयारी में।

· सरकार, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम (ईएलएसएस) की तर्ज पर ईटीएफ में निवेश का एक विकल्‍प प्रदान करेगी।

· सरकार, सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में जनता की 25 प्रतिशत भागीदारी के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। सभी पीएसयू कंपनियों में विदेशी हिस्‍सेदारी को उभरते हुए बाजार सूचकांक के अनुरूप अधिकतम स्‍वीकृत सीमा तक बढ़ाया जाएगा।

· सरकार, विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्‍से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

· लोगों के इस्‍तेमाल के लिए जल्‍द ही एक रुपये, दो रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नये सिक्‍के उपलबध होंगे।

डिजिटल भुगतान :

· बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक की नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत के टीडीएस का प्रस्‍ताव।

· ऐसे व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान, जिसका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है, वे अपने ग्राहकों को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान सुविधा बिना किसी शुल्‍क के उपलब्‍ध कराएंगे। इसके लिए व्‍यापारियों या ग्राहकों पर कोई अतिरिक्‍त प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

उदियमान और उन्‍नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बड़ा निवेश :

· सेमी कंडक्‍टर, सौर ऊर्जा बैटरियां, लिथियम स्‍टोरेज बैटरियां, कम्‍प्‍यूटर सर्वर और लेपटॉप आदि जैसे उदियमान और उन्‍नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी वैश्विक कंपनियों को संयंत्र लगाने के लिए आमंत्रित करना।

· ऐसी कंपनियों को आयकर छूटों और अन्‍य अप्रत्‍यक्ष करों का लाभ प्रदान करना।

2014-2019 के दौरान की उपलब्धियां :

· पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में एक ट्रिलियन डॉलर की राशि जुड़ी है।

· भारत विश्‍व की छठी बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बन चुका है। पांच वर्ष पहले यह 11 स्‍थान पर था।

· क्रय शक्ति की समानता के दृष्टि से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है।

· 2014-19 के दौरान राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाया तथा केन्‍द्र-राज्‍य संबंधों को गतिशीलता प्रदान की गई।

· अप्रत्‍यक्ष करों, दिवाला मामलों तथा रियल इस्‍टेट क्षेत्र में संरचनात्‍मक सुधार किये गये।

· 2009-14 की तुलना में 2014-19 के बीच खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया।

· 2014 की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी पेटेंट जारी किये गये।

· नीति आयोग की योजाओं और समर्थन से नये इंडिया के निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

भविष्‍य के लक्ष्‍य :

· प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

· निष्‍पादन को प्रोत्‍साहित करना।

· लाल फीताशाही में कमी लाना।

· प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्‍तेमाल करना।

· शुरू किये कार्यक्रम और सेवाओं को गति प्रदान करना।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वित्‍त मंत्रालय

बजट भाषण सारांश- भाग-क

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था इस वर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर की हो रही है। क्रय शक्ति की समानता के रूप में यह विश्‍व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है। सरकार की अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे में इच्‍छा 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करना, 2019-20 में एक लाख 5 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्‍य को बढ़ाना, क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए पीएसबी को 70 हजार करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव, अंतिम पांच वर्षां में खाद्य सुरक्षा बजट को दोगुना करना, 10 हजार करोड़ रुपये के खर्च से विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाना, अफ्रीका में 18 नए भारतीय दूतावास मिशन खोलना,‍ विश्‍वस्‍तरीय पर्यटन स्‍थलों में 17 महत्‍वपूर्ण पर्यटन स्‍थलों का विकास तथा 1,2,5,10 और 20 रुपये के सिक्‍कों की नई श्रृंखला जारी करना आज केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा संसद में पेश केन्‍द्रीय बजट 2019-20 की कुछ प्रमुख बातें हैं।

अपने पहले बजट भाषण में वित्‍तमंत्री ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के हर घर को जल उपलब्‍ध कराया जाएगा, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्‍ध कराया जाएगा। अगले 5 वर्षों में पीएमजीएसवाई-3 के तहत 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1,25,000 किलोमीटर लम्‍बी ग्रामीण सड़कों का उन्‍नयन कराया जाएगा, इन सड़कों की हर मौसम में कनेक्टिविटी 97 प्रतिशत से अधिक होगी, बांस, शहद और खादी कलस्‍टरों के लिए स्‍फूर्ति के तहत आम सुविधा केन्‍द्रों की स्‍थापना, कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75 हजार कुशल उद्यमियों के विकास के लिए 2019-20 के दौरान 20 आजीविका व्‍यापार केन्‍द्रों और 20 तकनीकी व्‍यापार केन्‍द्रों की स्‍थापना, अर्थव्‍यवस्‍था के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्‍वपूर्ण और नए कार्य हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार का पहला कार्यकाल काम करने वाली सरकार के रूप में रहा है। इसका लाभ आखिरी मील तक आपूर्ति करने वाला रहा है। 2014-19 के दौरान सरकार ने नवीन केन्‍द्र-राज्‍य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद तथा वित्‍तीय विषय में गंभीर प्रतिबद्धता उपलब्‍ध कराई है। इससे नए भारत के निर्माण की गति प्रशस्‍त हुई है। नीति आयोग द्वारा योजित और सहायता से एक व्‍यापक आधार वाले थिंकटैंक ने ऐसे कार्य प्रदर्शन किए हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत सफल हो सकते हैं।

**अनेक कार्यक्रमों और पहलों में सरकार ने अप्रत्‍याशित स्‍तर पर कार्य किया है।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2014 से पूर्व** | **2014 के बाद** |
| **खाद्य सुरक्षा** | **1.2 लाख करोड़ रुपये** | **1.8 लाख करोड़ रुपये** |
| **पेटेंट की संख्‍या** | **4000** | **13,000(2017-18)** |
| **न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य** | **89,740 करोड़ रुपये** | **1,71,127.48 करोड़ रुपये (2018-19)** |

वित्‍तमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान शुरू किए गए बड़े कार्यक्रमों और दी गई सेवाओं को और गति प्रदान की जाएगी तथा प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने, कार्य प्रदर्शन को प्रोत्‍साहित करने, लाल फीताशाही कम करने तथा इच्छित लक्ष्‍य प्राप्‍त करने के लिए प्रौद्योगिकी का श्रेष्‍ठ उपयोग करने के लिए अच्‍छे प्रयास किए जाएंगे।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में प्रगति होगी और यह 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बन जाएगी। तथा अगले पांच वर्षों में यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनकर प्रधानमंत्री के विजन तक पहुंच जाएगी। अब यह दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है। 2014 में यह 11वें स्‍थान पर थी। क्रय शक्ति की समानता के रूप में वास्‍तव में हम चीन और अमेरि‍का के बाद पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था हैं।

उन्‍होंने कहा कि इस और इससे अधिक स्‍तर को प्राप्‍त करने के लिए हमें लगातार अनेक संगठनात्‍मक सुधार करने की जरूरत है। जैसे पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने विशेष रूप से अप्रत्‍यक्ष कराधान,  दिवालियापन और रियल एस्‍टेट में अनेक बड़े सुधार देखे हैं। मुद्रा ऋण के माध्‍यम से जन सामान्‍य के जीवन में काफी बदलाव हुआ है। अनेक कार्यक्रमों के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया कि उनकी रसोई धुंए से मुक्‍त हों, उनके घर में बिजली के कनेक्‍शन हों और उनके घर की महिलाओं के सम्‍मान के लिए घरों में शौचालयों के निर्माण को सुनिश्चित किया गया है।

उन्‍होंने कहा कि नीति को लकवा मारने और लाइसेंस-कोटा नियंत्रण शासन के दिन बीत चुके हैं। हम मिलकर आपसी विश्‍वास से लाभ उठा सकते हैं। विकास को तेजी से उत्‍प्रेरक बनाकर सतत राष्‍ट्रीय प्रगति अर्जित कर सकते हैं। मैं घरेलू और विदेशी निवेश के महत्‍वपूर्ण चक्र की शुरूआत के लिए एक रूपरेखा के हिस्‍से के रूप में अनेक पहलों का प्रस्‍ताव करना चाहती हूं।

संपर्क सेवाओँ को अर्थव्यवस्था की धमनी बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल भाड़ा गलियारों, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं, जलमार्ग विकास और उड़ान योजनाओं के जरिए भौतिक संपर्क के सभी माध्यमों को काफी बढ़ावा दिया है। औद्योगिक गलियारों के बनने से उद्योग की संभावना वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक निवेश के लिए अवसंरचना का विकास बेहतर होगा, समर्पित माल भाड़ा गलियारों से हमारे रेल नेटवर्क पर बोझ घटेगा जिससे आम आदमी को लाभ होगा। भारतमाला के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से राष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों के विकास में मदद मिलेगी, जबकि सागरमाला से बंदरगाहों को जोड़ने और उनके आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी जिससे बंदरगाह उद्योग फले-फूलेगा। यदि सागरमाला का उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए अवसंरचना में सुधार लाना है तो यह समान रूप से गरीब आदमी की परिवहन व्यवस्था भी है। जलमार्ग परिवहन आवागमन का एक सस्ता साधन साबित हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य जल परिवहन के जरिए आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना है। इस पहलों से परिवहन की लागत कम होगी, घरेलू उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे और लॉजिस्टिक सेवाओं में काफी सुधार आएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू उड्डयन बाजार के रूप में अब भारत के लिए विमानन क्षेत्र के वित्त पोषण और जहाजों को पट्टे पर देने की गतिविधियों में शामिल होने का समय आ गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश में रखरखाव और मरम्मत से जुड़े विमानन उद्योग (एमआरओ) के लिए बेहतर कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने तथा इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की क्षमताओँ का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमआरओ क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतियां बनाएंगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ फेम (एफएमई) योजना, फेस-II 2019 की शुरुआत 1 अप्रैल, 2019 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन की पेशकश तथा उनके लिए जरूरी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित कर ऐसे वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्नत बैटरी वाले और पंजीकृत ई-वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा।

श्रीमती सीतारामन ने रेलवे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2018-2030 के बीच रेल अवसंरचना विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। उन्होने कहा कि सभी मंजूर परियोजनाएं पूरी करने में कई दशक लग जाएंगे। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि पटरियां बिछाने, रेलिंग स्टाफ विनिर्माण तथा यात्री मालभाड़ा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए सरकारी निजी भागीदारी का इस्तेमाल किया जाए।

वित्त मंत्री ने बताया कि कनेक्टिविटी अवसंरचना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक देश, एक ग्रिड – जिससे सभी राज्यों को किफायती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, उन्होंने आगे कहा कि इस सफल बिजली कनेक्टिविटी मॉडल को अपनाएंगे। वित्त मंत्री ने गैस ग्रिड, जल ग्रिड, आई-वे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक ब्ल्यूप्रिंट लाने का प्रस्ताव पेश किया।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों की जरबदस्त प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना नामक नई स्कीम के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार करने वाले लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में नामांकन की प्रक्रिया को सामान्य रखा जाएगा जिसमें केवल आधार और बैंक खातों की आवश्यकता होगी और शेष स्वघोषणा पर निर्भर करेगा।

बजट पेश करते हुए यह भी बताया कि निवेश प्रेरित विकास के लिए कम लागत वाली पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि भारत को प्रतिवर्ष औसत 20 लाख करोड़ रुपये (प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमरीकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव पेश किया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

ऋण गांरटी संवर्धन निगम जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियम अधिसूचित किए गए हैं, को 2019-20 में अधिसूचित किया जाएगा।

अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए कॉरपोरेट, क्रेडिट डिफाल्टट स्वैप सहित दीर्घाविधिक बॉन्डों के लिए बाजार को मजबूती प्रदान करने हेतु एक योजना लाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई/एफपीआई द्वारा किए गए निवेश को विनिर्दिष्ट लाक-इन अवधि के भीतर किसी भी घरेलू निवेशक को अंतरित किए जाने/बेचे जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया।

बजट पेश करते हुए यह भी बताया कि वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018 में 13 प्रतिशत गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर आ गया। यूएनसीटीएडी के विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह तीसरी लगातार वार्षिक गिरावट थी। 2018-19 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 64.375 बिलियन अमरीकी डॉलर पर मजबूत रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्री ने भारत को अधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का गंतव्य स्थान बनाने के लिए इस आय को और अधिक समेक्षित करने का प्रस्ताव भी रखा।

ए. सरकार विमानन, मीडिया (एनिमेशन, एवीजीसी) और बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए और अधिक खोलने के सुझावों पर विचार करेंगी। इसके लिए सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

बी. बीमा मध्यस्थता कम्पनियों में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अनुमति दी जाएगी।

सी. एकल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के लिए स्थानीय आपूर्ति नियमों को आसान बनाया जाएगा।

आगे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारत को शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता बताया और भारतीय पूंजी बाजार में अनिवासी भारतीय इक्विटी तक अनिवासी भारतीयों को निर्बाध पहुंच मुहैया कराने की दृष्टि से एनआरआई पोर्टफोलियो स्कीम मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मांग में विलय करने का प्रस्ताव भी रखा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना नामक दो प्रमुख पहलों ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन को बदल दिया है, उनके जीवन को आसान बनाने में नाटकीय सुधार आया है। स्वच्छ रसोई गैस की परिवार को सुलभता में, 7 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन देने की व्यवस्था के जरिए अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सभी गांव और देशभर में लगभग 100 प्रतिशत को बिजली प्रदान की गई है। सक्षम कार्यान्वयन और इसे उत्साह पूर्वक अपनाए जाने की वजह से ग्रामीण परिवारों के लिए ऊर्जा की सुलभता में महत्वपूर्ण सुधार आया है। 2022 तक अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक मैं राष्ट्र को आश्वासन देना चाहूंगी कि जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी।

आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य को हासिल करना है। पिछले पांच वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घर पूरे किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में, 2019-20 से 2021-22 के दौरान, पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है। ये आवास, शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ दिए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मंच और प्रौद्योगिकी निविष्टियों के उपयोग से आवासों को पूरा करने हेतु दिनों की औसत संख्या 2015-16 में 3014 दिनों से घटाकर 2017-18 में 114 दिन कर दी गई हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत से सामाजिक-आर्थिक लाभ मिले हैं। पात्र और व्‍यवहार्य बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्‍य को 2022 से पहले 2019 में पूरा करना तय किया गया है, क्‍योंकि ऐसी 97 प्रतिशत बस्तियों को हर मौसम में संपर्कता प्रदान की गई है। ऐसा पिछले 1000 दिनों में तेज गति से प्रति दिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई-III 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,2500 किलोमीटर सड़क को अपग्रेड करने की परिकल्‍पना की गई है।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पारम्‍परिक उद्योगों का उन्‍नयन और पुनर्सजृन निधि योजना का लक्ष्‍य पारम्‍परिक उद्योगों को अधिक से अधिक उत्‍पादक, लाभदायक और निरंतर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु क्‍लस्‍टर आधारित विकास सुसाध्‍य बनाने के लिए अधिकाधिक सामान्‍य सुविधा केन्‍द्र स्‍थापित करना है। प्रमुख क्षेत्र बांस, शहद और खादी क्‍लस्‍टर है। स्‍फुर्ति के अंतर्गत 2019-20 के दौरान 100 नये क्‍लास्‍टरों की स्‍थापना करना है, जिससे 50,000 शिल्‍पकारों को आर्थिक मूल्‍य श्रृंखला में शामिल होने के लिए सम‍र्थ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्‍त ऐसे उद्योगों की प्रौद्योगिकी सुधारने के लिए आजीविका बिजनेस इंक्‍यूबेटर और प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्‍यूबेटर स्‍थापित करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना को समेकित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि, ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75000 कुशल उद्यमियों को तैयार करने के लिए 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इंक्‍यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्‍यूबेटर स्‍थापित करने की परिकल्‍पना की गई है।

**प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना** (पीएमएमएसवाई) के माध्‍यम से मत्‍स्‍य विभाग एक मजबूत मत्‍स्‍य ढांचे की स्‍थापना करेगा। ये मूल्‍य श्रृंखला को मजबूत बनाने संबंधी महत्‍वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे, जिसमें बुनियादी ढांचा, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योजना, उत्‍पादन, उत्‍पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्‍ता नियंत्रण शामिल है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि भारत में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी देशवासियों के लिए शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को आपस में जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाना इस दिशा में एक प्रमुख कदम है। यह नया मंत्रालय एक  समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन और जल आपूर्ति की देखरेख करेगा। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’ के लिए 256 जिलों के ऐसे 1592 ब्लॉकों की पहचान की है, जहां जल का संकट है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध धन का इस्तेमाल करने के अलावा, सरकार ‘पूरक वानिकी निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण’ (सीएएमपीए) के तहत उपलब्ध अतिरिक्त धन के इस्तेमाल की संभावना भी तलाशेगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर को पाटने के लिए भारत नेट देश की प्रत्‍येक पंचायत के स्‍थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी लक्षित कर रहा है। इसे सार्वजनिक बाध्‍यता निधि की सहायता से तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी व्‍यवस्‍था से तेजी से बढ़ाया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-शहरी) के अंतर्गत लगभग 4.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसमें से लगभग 47 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 26 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से लगभग 24 लाख आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इन आवासों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के इस्‍तेमाल से अभी तक 13 लाख से अ‍धिक आवासों का निर्माण किया गया है।

महात्‍मा गांधी के आदर्शों के प्रति खुद को समर्पित करने के लिए उनकी 150वीं वर्षगांठ एक उपयुक्‍त अवसर है। 2 अक्‍टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्‍त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने स्‍वच्‍छ भारत के गांधीजी के निश्‍चय को हासिल करने का संकल्‍प लिया है। मुझे खुशी है कि यह लक्ष्‍य 2 अक्‍टूबर से पहले हासिल कर लिया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार देश की उच्‍च शिक्षा प्रणाली को दुनिया की एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी। नई नीति के तहत स्‍कूलों और उच्‍च शिक्षा दोनों में बड़े बदलाव का प्रस्‍ताव किया गया है। इसमें बेहतर प्रशासन तथा अनुसंधान और नवाचार पर ज्‍यादा जोर दिया गया है। इसमें देश में अनुसंधान कार्यों के वित्‍त पोषण, समन्‍वय और प्रोत्‍साहन के लिए राष्‍ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन का प्रस्‍ताव किया गया है। उन्‍होंने कहा कि इन पहलों से देश में शिक्षा की गुणवत्‍ता में काफी सुधार आया है। पांच वर्ष पहले तक देश की एक भी शिक्षण संस्‍था दुनिया के 200 शीर्ष विश्‍वविद्यालयों में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। शिक्षण संस्‍थाओं द्वारा अपने स्‍तर में सुधार लाने तथा बेहतर विश्‍वसनीयता के कारण आज देश के दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान तथा बेंगलुरू का राष्‍ट्रीय विज्ञान संस्‍थान दुनिया के शीर्ष 200 शिक्षण संस्‍थाओं में अपनी जगह बना चुके हैं।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ‘कायाकावेकैलाशा’ को कार्यान्वित करते हुए, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। यह गति और अन्‍य स्‍तरों के साथ बहुतायत में कौशलयुक्‍त जनशक्ति सृजित करने में सहायक है। उन्‍होंने कहा कि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) (एआई), कम्‍प्‍यूटर संबंधी उपकरण, बिग डाटा, 3डी प्रिन्टिंग, आभासी वास्‍तविकता और रॉबर्ट विज्ञान जैसे नये युग के कौशलों पर भी ध्‍यान देगी, जिसकी देश और विदेश में काफी मांग है और ये काफी ज्‍यादा पारिश्रमिक भी प्रदान करते हैं।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने मुद्रा,  स्‍टैंडअप इंडिया एवं स्‍वयं सहायता समूह कार्यक्रमों जैसी विभिन्‍न योजनाओं के जरिये महिला उद्यमिता में सहायता दी है और महिला उद्यम को बढ़ावा दिया है। सभी जिलों में महिला स्‍व-सहायता समूह जेसे हितकारी कार्यक्रमों का विस्‍तार करने का प्रस्‍ताव है। इसके अलावा जन-धन बैंक खाताधारक प्रत्‍येक सत्‍यापित महिला स्‍व-सहायता समूह सदस्‍य को 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी। प्रत्‍येक स्‍व-सहायता समूह में एक महिला को मुद्रा योजना के अंतर्गत 1,00,000 रुपये तक ऋण उपलब्‍ध कराया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्‍थलों को विश्‍व स्‍तरीय पर्यटन स्‍थल के रूप में विकसित कर रही है, जो अन्‍य पर्यटन स्‍थलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे। ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्‍थल सैलानियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे, जिससे इन स्‍थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्‍या में आएंगे। उन्‍होंने कहा कि समृद्ध आदिवासी सांस्‍कृतिक विरासत का परिरक्षण करने के उद्देश्‍य से, एक डिजिटल संग्रह बनाया गया है, जिसमें भारत में आदिवासियों के दस्‍तावेजों, लोक गीतों, उनके विकास क्रम के फोटोचित्रों और वीडियों, उत्‍पत्ति स्‍थल, जीवनशैली, वास्‍तुकला, शिक्षा स्‍तर, पारंपरिक कला, लोकनृत्‍य तथा अन्‍य मानव विकास का संग्रह किया जाता है। उन्‍होंने कहा कि इस संग्रह को और अधिक समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने सरकार के दृष्टिकोण के 10 बिन्‍दुओं को चिन्हित किया :-

क.     वास्‍तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करना;

ख.     डिजिटल इंडिया को अर्थव्‍यवस्‍था के प्रत्‍येक क्षेत्र तक पहुंचाना;

ग.      हरी-भरी धरती और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्‍त भारत;

घ.      विशेषकर एमएसएमई, स्‍टार्ट-अप्‍स, रक्षा निर्माण, वाहनों, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, वस्‍त्रों और बैटरियों तथा चिकित्‍सा उपकरणों के साथ मेक इन इंडिया;

ङ.       जल, जल प्रबंधन, स्‍वच्‍छ नदियां;

च.      नीली अर्थव्‍यवस्‍था;

छ.     अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्‍द्रयान और उपग्रह कार्यक्रम;

ज.     खाद्यान्‍नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्‍मनिर्भरता और निर्यात;

झ.     स्‍वस्‍थ समाज – आयुष्‍मान भारत, अच्‍छी तरह से पोषित महिला और बच्‍चा। नागरिकों की सुरक्षा;

जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया। न्‍यूनतम सरकार अधिकतम शासन।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

अनेक कर प्रस्‍तावों का उद्देश्‍य देश में स्‍टार्ट-अप्‍स और उदीयमान उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना है

कॉरपोरेट टैक्‍स की 25 प्रतिशत की घटी हुई दर अब से 250 करोड़ रुपये के बजाय 400 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगी

2-5 करोड़ रुपये की कर योग्‍य आय वाले लोगों के लिए अधिभार में 3 प्रतिशत की वृद्धि और 5 करोड़ रुपये से अधिक की कर योग्‍य आय वाले लोगों के लिए अधिभार 5 प्रतिशत बढ़ाया गया

डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा दिया जाएगा, किसी बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की नकदी निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस का प्रस्‍ताव

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष दोनों ही तरह के कर प्रोत्‍साहन देने की घोषणा

‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता घटाने, एमएसएमई सेक्‍टर को संरक्षण देने और स्‍वच्‍छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्‍क संबंधी कई प्रस्‍तावों की घोषणा

पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये के सड़क एवं अवसंचरना उपकर और विशेष अतिरिक्‍त उत्‍पाद शुल्‍क लगाने का प्रस्‍ताव

सोने एवं अन्‍य बेशकीमती धातुओं पर सीमा शुल्‍क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया

**निवेश को बढ़ावा देना**

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए अनेक ऐसे कर प्रस्‍तावों की घोषणा की जिनका उद्देश्‍य उन्‍नत प्रौद्योगि‍की वाले उदीयमान उद्योगों और स्‍टार्ट-अप्‍स में निवेश को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास के साथ-साथ ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया जाएगा जिसके तहत सेमी-कंडक्‍टर फैब्रि‍केशन (एफएबी), सोलर फोटो वोल्टिक सेल, लिथियम स्‍टोरेज बैटरियों, सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, लैपटॉप  और कम्‍प्‍यूटर सर्वर जैसे उदीयमान एवं उन्‍नत प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्रों की स्‍थापना के लिए एक पारदर्शी प्रतिस्‍पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए वैश्विक कंपनियों को आंमत्रित किया जाएगा। इन वैश्विक कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के तहत निवेश से जुड़ी आयकर छूट के साथ-साथ अन्‍य अप्रत्‍यक्ष कर लाभ दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने अपना प्रथम बजट पेश करते हुए कहा कि तथाकथित ‘एंजल टैक्‍स’ मुद्दे को सुलझाने के लिए अब से शेयर प्रीमियम के मूल्‍यांकन के मामले में स्‍टार्ट-अप्‍स के साथ-साथ उन निवेशकों की कोई जांच नहीं की जाएगी जो अपने रिटर्न में आवश्‍यक घोषणाओं एवं सूचनाओं का उल्‍लेख करते हैं। निवेशक की पहचान के साथ-साथ उसकी धनराशि के स्रोत का पता लगाने के मुद्दे को ‘ई-सत्‍यापन’ की एक समुचित व्‍यवस्‍था स्‍थापित कर सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही स्‍टार्ट-अप्‍स द्वारा जुटाई गई धनराशि की किसी भी तरह की जांच आयकर विभाग द्वारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्‍टार्ट-अप्‍स के लंबित आकलन और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सीबीडीटी द्वारा विशेष प्रशासनिक व्‍यवस्‍थाएं की जाएंगी। इस तरह के मामलों में कर-निर्धारण अधिकारी के सुपरवाइजर अधिकारी की मंजूरी मिले बगैर कोई भी जांच अथवा सत्‍यापन नहीं कराया जा सकता है। स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए यह आवश्‍यक नहीं होगा कि वे श्रेणी-II के वैकल्पिक निवेश फंडों को भी जारी किए गए अपने शेयरों के बाजार मूल्‍य को जायज ठहराए। इन फंडों को जारी किए गए शेयरों का मूल्‍यांकन आयकर जांच के दायरे से बाहर होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्‍टार्ट-अप्‍स के मामले में नुकसान को आगे ले जाने और समायोजित करने के लिए कुछ शर्तों में ढील देने का भी प्रस्‍ताव है। इसके अलावा, स्‍टार्ट-अप्‍स में निवेश के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्‍त पूंजीगत लाभ की छूट की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का प्रस्‍ताव है।

**किफायती आवास**

किफायती आवास को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्‍त टैक्‍स कटौती के रूप में और ज्‍यादा प्रोत्‍साहन दिया गया है। यह अतिरिक्‍त कटौती 45 लाख रुपये तक के मूल्‍य वाले किफायती मकान की खरीद के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए कर्ज पर अदा किए गए 2 लाख रुपये के ब्‍याज पर मिलने वाली टैक्‍स कटौती के अलावा होगी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘इस कदम की बदौलत किफायती मकान खरीदने वाले व्‍यक्ति को अब 3.5 लाख रुपये की बढ़ी हुई ब्‍याज संबंधी टैक्‍स कटौती का लाभ मिलेगा। इससे मध्‍यम वर्ग के मकान खरीदारों को 15 वर्षों की अपनी कर्ज अवधि के दौरान लगभग 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।’

**कर प्रशासन का आधुनिकीकरण**

स्‍व-रोजगार वाले लोगों, छोटे व्‍यापारियों, वेतनभोगी व्‍यक्तियों और वरिष्‍ठ नागरिकों सहित करदाताओं का धन्‍यवाद करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा, ‘पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्‍यक्ष कर राजस्‍व में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से 78 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 11.37 लाख करोड़ रुपये के स्‍तर पर पहुंच गया है। इसमें अब हर साल दहाई अंकों में वृद्धि दर्ज की जा रही है।’

वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वाधिक कमाई करने वाले लोगों को देश के विकास के साथ-साथ राजस्‍व जुटाने में और ज्‍यादा योगदान करने की जरूरत है। इस बात का उल्‍लेख करते हुए वित्त मंत्री ने 2 – 5 करोड़ रुपये की कर योग्‍य आय वाले लोगों पर अधिभार में 3 प्रतिशत की वृद्धि और 5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की कर योग्‍य आमदनी वाले लोगों पर अधिभार में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की।

इसके साथ ही कर प्रशासन और कर भुगतान को सुगम बनाने के उद्देश्‍य से प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे अब अपने ‘आधार नंबर’ का उल्‍लेख कर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

करदाताओं को पहले से भरे हुए टैक्‍स रिटर्न उपलब्‍ध कराए जाएंगे जिनमें वेतन आमदनी, प्रतिभूतियों से हुए पूंजीगत लाभ, बैंक ब्‍याज, लाभांश एवं कर कटौती इत्‍यादि का ब्‍योरा होगा। इस तरह की आमदनी से संबंधित सूचनाओं को संबंधित स्रोतों जैसे कि बैंकों, स्‍टॉक एक्‍सचेंजों, म्‍युचुअल फंडों, ईपीएफओ, राज्‍य पंजीकरण विभागों इत्‍यादि से प्राप्‍त किया जाएगा।

आयकर अधिकारी से मिलने की जरूरत को समाप्‍त करने वाली इलेक्‍ट्रॉनिक मोड की ‘व्‍यक्तिगत उपस्थिति के बिना आकलन योजना’ इसी वर्ष चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी। आरंभ में इस तरह का ई-आकलन उन मामलों में किया जाएगा जिनमें कुछ निर्दिष्‍ट लेन-देन अथवा खामियों का सत्‍यापन करने की जरूरत होगी। जांच के लिए चयनित मामलों को क्रमरहित (रैंडम) तरीके से कर आकलन यूनिटों को आवंटित किया जाएगा और एक केन्‍द्रीय प्रकोष्‍ठ द्वारा इलेक्‍ट्रॉनिक ढंग से नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके तहत कर-आकलन अधिकारी के नाम, पद अथवा स्‍थान का खुलासा नहीं किया जाएगा। यह केन्‍द्रीय प्रकोष्‍ठ करदाता और विभाग के बीच एकल संपर्क बिंदु होगा।

**कॉरपोरेट टैक्‍स**

वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्‍स का उल्‍लेख करते हुए कहा, ‘हम दरों में चरणबद्ध कमी करने का क्रम जारी रखेंगे। वर्तमान में 25 प्रतिशत की कम दर केवल उन कंपनियों पर लागू है जिनका वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये तक है। इसका दायरा अब बढ़ाकर उन कंपनियों को भी शामिल करने का प्रस्‍ताव है जिनका वार्षिक कारोबार 400 करोड़ रुपये तक है। अब इसके दायरे में 99.3 प्रतिशत कंपनियां आ जाएंगी। इसके साथ ही अब केवल 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही इस रेट के दायरे से बाहर होंगी।’

**डिजिटल भुगतान**

देश में डिजिटल भुगतान के तौर-तरीकों को और ज्‍यादा प्रोत्‍साहित करने तथा नकद भुगतान को हतोत्‍साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने अनेक उपायों की घोषणा की। कारोबार संबंधी भुगतान नकद में किए जाने को हतोत्‍साहित करना और किसी बैंक खाते से एक साल में 1 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की नकदी निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगाने का प्रस्‍ताव इन उपायों में शामिल हैं। 50 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के वार्षिक कारोबार वाले कारोबारी प्रतिष्‍ठान अपने ग्राहकों को किफायती डिजिटल भुगतान की सुविधा देंगे और ग्राहकों के साथ-साथ व्‍यवसायियों पर भी कोई प्रभार अथवा मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट नहीं थोपा जाएगा। आरबीआई और बैंक उस बचत से इस भार को वहन करेंगे जो उन्‍हें लोगों द्वारा डिजिटल साधनों को बढ़ावा देने के परिणामस्‍वरूप अपेक्षाकृत कम नकदी के संचालन से हासिल होगी। इस तरह के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आयकर अधिनियम और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में आवश्‍यक संशोधन किए जा रहे हैं।

**इलेक्ट्रिक वाहन**

देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष कर दोनों से ही संबंधित प्रोत्‍साहनों की घोषणा की जाती है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘भारत के विशाल उपभोक्‍ता आधार को ध्‍यान में रखते हुए हमने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का एक वैश्विक हब बनाने की परिकल्‍पना की है।’ उन्‍होंने कहा कि सोलर स्‍टोरेज बैटरियों और चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को उपर्युक्‍त योजना में शामिल करने से हमारे प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की, ‘सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए जीएसटी परिषद से पहले ही अनुरोध कर चुकी है। इतना ही नहीं, उपभोक्‍ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए हमारी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर अदा किए गए ब्‍याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्‍त आयकर कटौती मुहैया कराएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लेने वाले करदाताओं को कर्ज अ‍वधि के दौरान तकरीबन 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।’ वित्त मंत्री ने ऑटोमोबाइल और वाहनों के कलपुर्जों पर सीमा शुल्‍क बढ़ाने का प्रस्‍ताव करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ विशेष कलपुर्जों पर सीमा शुल्‍क से छूट मुहैया कराई थी।

**सीमा शुल्‍क प्रस्‍ताव**

आमतौर पर अन्‍य सीमा शुल्‍क प्रस्‍तावों का उद्देश्‍य ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, एमएसएमई सेक्‍टर को संरक्षण देना, स्‍वच्‍छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और गैर-आवश्‍यक आयात पर अंकुश लगाना है।

घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए 36 वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क बढ़ाया गया है जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:

काजू गरी

फैटी एसिड, ओलियोकेमिकल एवं साबुन बनाने में उपयोग होने वाले परिशोधन से प्राप्‍त एसिड ऑयल

पॉली विनाइल क्‍लोराइड

प्‍लास्टिक का फ्लोर कवर, प्लास्टिक की वॉल अथवा सीलिंग कवरिंग

प्‍लास्टिक की वस्‍तुएं

ब्‍यूटाइल रबर

क्‍लोरोब्‍यूटाइल रबर अथवा ब्रोमोब्‍यूटाइल रबर

न्‍यूजप्रिंट और पत्रिकाओं के लिए कागज

मुद्रित पुस्‍तकें (कवर सहित) और मुद्रित नियमावली

ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए वाटर ब्‍लॉकिंग टेप

सिरामिक रू‍फिंग टाइल एवं सिरामिक फ्लैग एवं पेविंग, दीवारों पर लगाई जाने वाली टाइलें इत्‍यादि

स्‍टेनलेस स्‍टील के उत्‍पाद

अन्‍य एलॉय स्‍टील के तार (आईएनवीएआर को छोड़)

फर्नीचर, दरवाजे, सीढ़ी, खिड़की के लिए उपयुक्‍त मानी जाने वाली बेस मेटल फिटिंग्‍स, माउंटिंग और इसी तरह की वस्‍तुएं

स्‍प्‍लिट-सिस्‍टम एयर कंडीशनर की इंडोर एवं आउटडोर यूनिट

सड़कों के निर्माण के लिए स्‍टोन क्रशिंग (कोन प्रकार) संयंत्र

सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा और डीवीडी/एनवीआर का चार्जर/पावर एडैप्‍टर

लाउडस्‍पीकर

डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर)

सीसीटीवी कैमरा और आईपी कैमरा

ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल एवं केबल

ब्रेक, क्‍लच इत्‍यादि के लिए घर्षण सामग्री और उससे बने उत्‍पाद (शीट, रॉल, स्ट्रिप, सेगमेंट, डिस्‍क, वॉशर, पैड), जिनमें आधार के रूप में एसबेस्‍टस, अन्‍य खनिज पदार्थ या सेल्‍युलोज हो, भले ही ये कपड़ा अथवा अन्‍य सामग्री से युक्‍त हों या नहीं

रियर-व्‍यू मिरर सहित ग्‍लास मिरर, चाहे उनकी फ्रेमिंग हुई हो या न हुई हो

 मोटर वाहनों में इस्‍तेमाल होने वाला एक प्रकार का लॉक

कैटेलाइटिक कन्‍वर्टर

आंतरिक कम्‍बशन इंजनों के लिए तेल अथवा पेट्रोल फिल्‍टर

आंतरिक कम्‍बशन इंजनों के लिए इनटेक एयर फिल्‍टर

साइकिलों अथवा मोटर वाहनों में इस्‍तेमाल होने वाला एक प्रकार का लाइटिंग अथवा विजुअल सिग्‍नलिंग उपकरण

वाहनों के लिए हॉर्न

साइकिल और मोटर वाहन के लिए अन्‍य विजुअल अथवा साउंड सिग्‍नलिंग उपकरण

विजुअल अथवा साउंड सिग्‍नलिंग उपकरण, विंडस्‍क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्‍टर और साइकिल अथवा मोटर वाहन में इस्‍तेमाल होने वाले एक प्रकार के डिमिस्‍टर के कलपुर्जे

विंडस्‍क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्‍टर और डिमिस्‍टर, सील्‍ड बीम लैंप यूनिट, ऑटोमोबाइल के लिए अन्‍य लैंप

शीर्षक 8702, 8704 के अंतर्गत आने वाले वाहनों की कंप्‍लीटली बिल्‍ट यूनिट (सीबीयू)

शीर्षक 8701 से लेकर 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए इंजन युक्‍त चेसिस

शीर्षक 8701 से लेकर 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए बॉडी (कैब सहित)

इसी तरह घरेलू उद्योग को आवश्‍यक मदद देने के लिए कुछ विशेष कच्‍चे माल और पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्‍क को घटाने का प्रस्‍ताव है जिसका उल्‍लेख नीचे किया गया है:

 नाफ्था

मिथाइलऑक्‍सीरेन (प्रोपि‍लीन ऑक्‍साइड)

इथिलिन डाईक्‍लोराइड (ईडीसी)

सिलिका प्रेफॉर्म के निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाला कच्‍चा माल

ए)     सिलिकॉन टेट्रा क्‍लोराइड

बी) जर्मेनियम टेट्रा क्‍लोराइड

सी) प्रशीतित हीलियम द्रव

डी) सिलिका रॉड

ई) सिलिका ट्यूब

वूल फाइबर, वूल टॉप

सीआरजीओ स्‍टील के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाला कच्‍चा माल

ए) एमजीओ कोटेड कोल्‍ड रोल्‍ड स्‍टील क्‍वायल

बी) हॉट रोल्‍ड क्‍वायल

सी) कोल्‍ड-रोल्‍ड एमजीओ कोटेड स्‍टील

डी) हॉट रोल्‍ड पिकल्‍ड क्‍वायल

ई) कोल्‍ड रोल्‍ड फुल हार्ड

अमोरफस एलॉय रिबन

कोबाल्‍ट मैटे और कोबाल्‍ट धातुकर्म के अन्‍य मध्‍यवर्ती उत्‍पाद

निम्‍नलिखित इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामान

ए)     पॉपु‍ले‍टेड पीसीबीए

बी) सेल्‍युलर मोबाइल फोन का कैमरा मॉड्यूल

सी) सेल्‍युलर मोबाइल फोन का चार्जर/एडॉप्‍टर

डी) लिथियम ऑयन सेल

ई) डिस्‍प्ले मॉड्यूल

एफ) सेट टॉप बॉक्‍स

जी) काम्‍पैक्‍ट कैमरा मॉड्यूल

जहां एक ओर घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत में निर्मित किए जा रहे कुछ विशेष इले‍क्‍ट्रॉनिक वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क लगा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्‍य ऐसे पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्‍क को हटा दिया गया है जो विशिष्‍ट इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तुओं के निर्माण के लिए आवश्‍यक हैं।

खेल-कूद के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्‍तुओं जैसे कि फोम और पाइनवुड को एक खास सीमा तक शुल्‍क मुक्‍त आयात की अनुमति वाली वस्‍तुओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘इसी तरह चमड़ा क्षेत्र को राहत देने के लिए कच्‍चे चमड़े और अर्द्ध-तैयार चमड़े पर निर्यात शुल्‍क को तर्कसंगत किया जा रहा है।’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और अद्यतन की तत्‍काल आवश्‍यकता है। यह राष्‍ट्रीय प्राथमिकता है। इस उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए ऐसे रक्षा उपकरणों को मूल सीमा शुल्‍क से मुक्‍त किया जा रहा है जिन्‍हें भारत में अभी नहीं बनाया जा रहा है।’

**जीएसटी और आगे की राह**

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लागू करने से 17 कर और 13 उपकर अब मिलकर एक टैक्‍स बन गए हैं। इसके साथ ही इससे परिचालन में व्‍यापक बदलाव देखने को मिला है क्‍योंकि परिचालन के सरलीकरण से परिवहन में उपयोग किए जाने वाला ट्रक अब उतने ही समय में दो चक्‍कर (ट्रिप) लगाने लगा है, जबकि पहले एक ही चक्‍कर संभव हो पाता था। उन्‍होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से प्रति वर्ष लगभग 92,000 करोड़ रुपये की राहत मिली है।

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्‍स रिटर्न तैयार करने के लिए नि:शुल्‍क या फ्री लेखांकन सॉफ्टवेयर छोटे कारोबारियों को उपलब्‍ध कराया जा रहा है और एक पूर्णत: स्‍वचालित जीएसटी रिफंड मॉड्यूल को जल्‍द ही अमल में लाए जाने की आशा है। उन्‍होंने कहा कि 5 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले करदाता को तिमाही रिटर्न भरने होंगे। इलेक्‍ट्रॉनिक इन्‍वॉयर्स विवरण को एक केन्‍द्रीय प्रणाली में दर्ज करना है, ताकि पहले से ही भरे हुए करदाता रिटर्न संभव हो सकें। इसके साथ ही ई-वे बिल को भी सृजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत जनवरी, 2020 से होने की आशा है जिससे अनुपालन बोझ काफी कम हो जाएगा।

**विरासत विवाद समाधान**

वित्त मंत्री ने एक ‘विरासत विवाद समाधान योजना’ का प्रस्‍ताव रखा जिससे मुकदमों का जल्‍द निपटारा संभव हो पाएगा। उन्‍होंने कहा, ‘3.75 लाख करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा की राशि जीएसटी पूर्व व्‍यवस्‍था के दौरान सेवा कर और उत्‍पाद शुल्‍क से जुड़ी मुकदमेबाजी में फंसी पड़ी है।’ उन्‍होंने व्‍यापार एवं व्‍यवसाय जगत से विवाद समाधान योजना के इस अवसर से लाभ उठाने को कहा जिसे ‘सबका विश्‍वास विरासत विवाद समाधान योजना, 2019’ नाम दिया जाएगा। इस योजना को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा। इसके तहत जिन लोगों को बरी कर दिया जाएगा उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

**सीमा शुल्‍क संबंधी उल्‍लंघन**

वित्त मंत्री ने सीमा शुल्‍क अधिनियम में भी कुछ संशोधन करने का प्रस्‍ताव रखा, ताकि फर्जी निकायों को निर्यात प्रोत्‍साहनों से लाभान्वित होने के लिए गैर वाजिब तौर-तरीके अपनाने से रोका जा सके। 50 लाख रुपये से ज्‍यादा की ड्यूटी फ्री स्क्रिप और ड्रॉबैक सुविधा से जुड़े उल्‍लंघनों को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध मानने के लिए सीमा शुल्‍क अधिनियम में प्रावधान किए जा रहे हैं। सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 में संशोधन के तहत तस्‍करी को रोकने के लिए आधार अथवा किसी अन्‍य पहचान पत्र के सत्यापन का प्रावधान लागू करने का प्रस्‍ताव किया गया है। इसमें किसी ऐसे व्‍यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सीमा शुल्‍क प्राधिकरणों को सशक्‍त बनाने का भी प्रस्‍ताव है जिसने भारत से बाहर कोई अपराध किया हो।

**एनबीएफसी**

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऐसे ब्‍याज की पेशकश करने की सुविधा देना का प्रावधान किया जाएगा जिस पर टैक्‍स उसी साल लगेगा जिस दौरान यह वास्‍तव में प्राप्‍त होगा, जैसा कि अनुसूचित बैंकों के मामले में है। इस आशय की घोषणा वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में की।

**अंतर्राष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केन्‍द्र (आईएफएससी)**

15 वर्षों की अवधि के अंतर्गत 10 वर्षों के किसी भी खंड में धारा 80-एलए के तहत 100 प्रतिशत मुनाफा संबंधी कटौती सहित अनेक प्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहनों की घोषणा गिफ्ट सिटी स्थित अंतर्राष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केन्‍द्र के लिए की गई है। कंपनियों एवं म्‍युचुअल फंडों को वर्तमान एवं संचित आय पर लाभांश वितरण कर से छूट, श्रेणी-III के वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को पूंजीगत लाभ पर छूट और अनिवासी भारतीयों से लिए गए ऋण पर ब्‍याज अदायगी को भी आईएफएससी के लिए घोषित किया गया है।

**सिगरेट पर उत्‍पाद शुल्‍क**

वित्त मंत्री ने कहा कि तम्‍बाकू उत्‍पादों और कच्‍चा तम्‍बाकू पर राष्‍ट्रीय आपदा एवं आकस्मिकता शुल्‍क लगाया जाता है। कतिपय मामलों में इसे इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि इन मदों पर कोई बुनियादी उत्‍पाद शुल्‍क नहीं लगाया गया है। इस समस्‍या का समाधान करने के लिए सांकेतिक बुनियादी उत्‍पाद शुल्‍क लगाया जा रहा है। इस तरह के बुनियादी उत्‍पाद शुल्‍क की दरों की घोषणा की गई है, जैसा कि केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित है।

\*\*\*

वित्‍त मंत्रालय

अपेक्षित घोषणा दाखिल करने वाले स्टार्ट-अप्स और उनके निवेशक शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के संबंध में किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी।

निवेशक और उसकी धनराशि के स्रोत की पहचान स्थाटपित करने के लिए ई-मूल्यां्कन व्य्वस्थां का प्रस्तासव

दूरदर्शन के चैनलों में विशेष रूप से स्टाषर्ट-अप्सए के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताथव

सरकार उदीयमान और उन्नलत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशाल विनिर्माण संयंत्रों की स्थाापना के लिए अंतरराष्ट्री य कंपनियों को आमंत्रित करने की योजना शुरू करेगी

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आवश्‍यक घोषणा दाखिल करने वाले और अपनी रिटर्न में जानकारी उपलब्‍ध कराने वाले स्‍टार्ट-अप्‍स तथा उनके निवेशक शेयर प्रीमियम के मूल्‍यांकन के बारे में किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी। यह प्रस्‍ताव ‘एंजल टैक्‍स’ के मामले को सुलझाने की दृष्टि से किया गया है।

अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि निवेशक और उसकी धनराशि के स्रोत की पहचान स्थापित करने का मामला ई-मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के माध्‍यम से सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही स्‍टार्ट-अप्‍स द्वारा जुटाए गए धन के लिए आयकर विभाग द्वारा किसी तरह की जांच की आवश्‍यकता नहीं रहेगी।

   श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इसके अलावा स्‍टार्ट-अप्‍स के लंबित आकलनों तथा उनकी शिकायतों के निवारण के लिए केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड द्वारा विशेष प्रशासनिक प्रबंध किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा, ‘यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आकलन अधिकारी द्वारा अपने सुपरवाइज़री अधिकारी से अनुमति प्राप्‍त किए बिना ऐसे मामलों में किसी भी तरह की जांच अथवा सत्‍यापन नहीं हो सके।‘

उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में स्‍टार्ट-अप्‍स को श्रेणी-1 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) सहित कुछ निवेशकों को जारी किए गए अपने शेयरों के उचित बाजार मूल्‍य को न्‍यायोचित ठहराने की आवश्‍यकता नहीं है। वित्‍त मंत्री ने इस लाभ को श्रेणी-2 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) तक पहुंचाने का भी प्रस्‍ताव रखा है। इसलिए इन धनराशियों के लिए जारी किए गए शेयर का सत्‍यापन किसी तरह की आयकर जांच के दायरे से परे होगा।

वित्‍त मंत्री ने स्‍टार्ट-अप्‍स के मामले में हानियों को आगे ले जाने और समायोजित करने की कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्‍ताव किया है। उन्‍होंने स्‍टार्ट-अप्‍स में निवेश करने के लिए रिहायशी मकान की बिक्री से उत्‍पन्‍न पूंजीगत लाभ की छूट की अवधि को 31 मार्च, 2021 बढ़ाने तथा इस छूट के लिए कुछ शर्तों में ढील देने का भी प्रस्‍ताव पेश किया है।

**दूरदर्शन के चैनलों पर विशेष रूप से स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए टीवी कार्यक्रम**

उपरोक्‍त कर लाभों के अलावा वित्‍त मंत्री ने दूरदर्शन के चैनलों पर विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू करने की भी पेशकश की है। यह कार्यक्रम स्‍टार्ट-अप्‍स को बढ़ावा देने, उनकी प्रगति को प्रभावित करने वाले मामलों, उद्यम पूंजीपतियों के साथ मिलान और वित्‍त पोषण तथा कर नियोजन जैसे मामलों पर चर्चा करने के मंच का कार्य करेगा। यह स्‍टार्ट-अप्‍स द्वारा ही बनाया और कार्यान्वित किया जाएगा।

**उदीयमान और उन्‍नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में विशाल निवेश**

आर्थिक वृद्धि और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार सेमी-कंडक्‍टर फैब्रीकेशन (एफएबी), सौर फोटो वोल्टिक सेल्‍स, लीथियम भंडारण बैटरियों सोलर इलैक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, कंप्‍यूटर सर्वर, लैपटॉप आदि जैसे क्षेत्रों में उदीयमान और उन्‍नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशाल विनिर्माण संयंत्रों की स्‍थापना के लिए पारदर्शी प्रतिस्‍पर्धी बोली के माध्‍यम से अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने की योजना शुरू करेगी और उन्‍हें आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी और अन्‍य प्रत्‍यक्षकर लाभों के तहत निवेश से जुड़ी आयकर छूट प्रदान करेगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

केन्‍द्रीय बजट में बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था और लघु तथा मध्‍यम कंपनियों में नौकरियों के सृजन के लिए भारी निवेश करने की आवश्‍यकता पर बल

परिवहन क्षेत्र में, बजट में रेलवे में पीपीपी,  भारत को रख-रखाव, मरम्‍मत और बदलाव के लिए रोड मैप और विमानों के लिए निधियन/पट्टे पर देने जैसे कार्यों तथा राज्‍य सड़क नेटवर्क के विकास का प्रस्‍ताव

गैस ग्रिडों, जल ग्रिडों, अंतर्देशीय जलमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए ब्‍लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है

बिजली क्षेत्र में शुल्‍क और ढांचागत सुधारों की जल्‍द घोषणा

मॉडल किराया कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और किराये के आवास को बेहतर बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे

एमएसएमई के लिए ब्‍याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए आवंटित; भुगतान में देरी को कम करने के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा

केन्‍द्रीय बजट 2019-20 में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था तथा लघु और मझौले कंपनियों में नौकरियों के सृजन के लिए भारी निवेश करने पर जोर दिया गया है। लोकसभा में आज बजट भाषण देते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार द्वारा की गई विभिन्‍न पहलों और सुधारों के कारण पिछले 5 वर्षों में अर्थव्‍यवस्‍था में एक ट्रिलियन डॉलर की राशि जुड़ी है और इसके वर्तमान वर्ष में 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था तक बढ़ने की संभावना है। इस लक्ष्‍य को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया के महत्‍व पर जोर देते हुए वित्‍त मंत्री ने घरेलू और विदेशी निवेश का विशिष्‍ट दौर शुरू करने के तहत अ‍नेक पहल शुरू करने का प्रस्‍ताव रखा।

विभिन्‍न प्रकार से वास्‍तविक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल-भाड़ा गलियारों, भारतमाला, सागरमाला, जलमार्ग विकास और उड़ान जैसे कार्यक्रमों के महत्‍व की चर्चा करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि इन पहलों से व्‍यवस्‍थाओं में सुधार होगा, परिवहन की लागत कम होगी और धरेलू तौर पर उत्‍पादित वस्‍तुओं की प्रतिस्‍पर्धा बढ़ेगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र में सरकार भारत को विमानों के निधियन और उन्‍हें पट्टे पर देने के कार्यों केन्‍द्र बनाने के लिए नियामक रोड़ मैप के आवश्‍यक कारकों को लागू करेगी। यह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)- अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सेवा केन्‍द्र (आईएफएसई) में उपलब्‍ध व्‍यवसाय के अवसरों को वजन प्रदान करने के अलावा विमानन उद्योग को आत्‍मनिर्भर बनाने, विमानन निधियन में आकांक्षापूर्ण नौ‍करियों के सृजन के लिए महम्‍वपूर्ण है।

उन्‍होंने कहा कि सरकार ने देश में रख-रखाव, मरम्‍मत और बदलाव (एमआरओ) उद्योग के विकास के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए उपयुक्‍त नीतिगत हस्‍तपेप को स्‍वीकार करेगी।

रेलवे के क्षेत्र में, बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का इस्‍तेमाल करने का प्रस्‍ताव किया गया है, ताकि तेजी से विकास और पटरियों का निर्माण, रोलिंग स्‍टॉक निर्माण और यात्री माल-भाड़ा सेवाओं की डिलीवरी का काम पूरा किया जा सके। वित्‍त मंत्री ने बताया कि देश में 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क कार्य करने लगा है1 उन्‍होंने कहा कि देश में विकसित पहला और कई प्रकार के परिवहनों में इस्‍तेमाल हो सकने वाला कार्ड, जो नेशनल कॉमन मोबिलि‍टी कार्ड (एनसीएमसी) मानकों पर आधारित है, जिसकी इस वर्ष मार्च में शुरूआत की गई। उससे लोग विभिन्‍न प्रकार के परिवहनों में आसानी से यात्रा कर सकेंगे।

**चरण-II** एफएएमई योजना जो विद्युत चलित वाहनों को तेजी से अपनाने के बारे में प्रोत्‍साहित करती है, वित्‍त मंत्री ने कहा कि केवल एडवांस बैट्री और पंजीकृत ई-वाहनों को इस योजना के अंतर्गत प्रोत्‍साहन दिया जाएगा। इसमें जन सामान्‍य के लिए सस्‍ते और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक वाहन प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

राजमार्गों के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार राष्‍ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम की व्‍यापक पुनर्संरचना करेगी, ताकि निधियन योग्‍य मॉडल का इस्‍तेमाल करते हुए आवश्‍यक लम्‍बाई और क्षमता का राष्‍ट्रीय राजमार्ग ग्रिड सुनिश्चित किया जा सके। भारतमाला के चरण-I को पूरा करने के बाद दूसरे चरण में राज्‍यों की सड़क नेटवर्कों का विकास करने में मदद की जाएगी।

कार्गो लाने-ले जाने के लिए नदियों का इस्‍तेमाल करने की सरकार की परिकल्‍पना की चर्चा करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में गंगा पर कार्गो की आवाजाही की मात्रा लगभग चार गुना बढ़ने का अनुमान है। इससे माल-भाड़ा, यात्रियों का आवागमन सस्‍ता होगा और हमारा आयात भी कम होगा। इस संबंध में उन्‍होंने गंगा की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना का जिक्र किया और कहा कि साहिबगंज और हल्दिया में दो बहुमॉडल टर्मिनलों और एक नौवहन पत्‍तन का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी और संरचना को अगले स्‍तर तक ले जाने के लिए सरकार गैस ग्रिडों, जल ग्रिडों, अंतर्देशीय जलमार्ग (आई-वेज़) और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास हेतु ब्‍लू प्रिंट उपलब्‍ध कराएगी। यह सफल एक राष्‍ट्र एक ग्रिड मॉडल पर आधारित है। जिसकी बदौलत राज्‍यों को किफायती दामों पर बिजली कनेक्टिविटी की उपलब्‍धता सुनिश्चित हो सकी है।

      वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि पुराने और अकुशल संयंत्रों को छोड़ने और प्रा‍कृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के अल्‍प उपयोग के समाधान से संबंधित उच्‍चस्‍तरीय अधिकार प्राप्‍त समिति (एचएलईसी) की सिफारिशों को भी अब अमल में लाया जाएगा। श्रीमती सीतारमन ने यह भी कहा कि सरकार उज्‍ज्‍वल डिस्‍कॉम एश्‍योरेंस योजना (उदय) को बेहतर बनाने के लिए उसके निष्‍पादन का भी आकलन कर रही है। उन्‍होंने कहा कि सरकार औद्योगिक एवं बड़े बिजली उपभोक्‍ताओं के लिए ओपन एक्‍सेस सेल्‍स अथवा कैप्टिव जनरेशन पर क्रॉस सब्सिडी अधिभारों, अवांछित शुल्‍कों जैसी बाधाओं को समाप्‍त करने के लिए राज्‍य सरकारों के साथ काम करेगी। इन ढांचागत सुधारों के अलावा शुल्‍क नीति में व्‍यापक सुधार किए जाने की जरूरत है। बिजली क्षेत्र के शुल्‍क और ढांचागत सुधार जल्‍द ही घोषित किए जाएंगे।

      आवास क्षेत्र में वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि रैंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए जाएंगे और एक आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा जो राज्‍यों को परिचालित किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि सार्वजनिक अवसंरचना और किफायती आवास का कार्य संयुक्‍त विकास और केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा धारित भूखंडों पर छूट जैसे नवाचारी माध्‍यमों से किया जाएगा।

      एमएसएमई क्षेत्र के लिए नए अथवा पुराने ऋणों पर दो प्रतिशत की ब्‍याज माफी हेतु वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमई के लिए एक भुगतान प्‍लेटफॉर्म का सृजन करेगी। ताकि बिल प्रस्‍तुत करने और उसके भुगतान का कार्य एक ही प्‍लेटफॉर्म पर किया जा सके।

वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना नामक नई योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार करने वाले लगभग तीन करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना में नामांकन प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा जिसमें केवल आधार और बैंक खाते ही जरूरत होगी और शेष स्‍वघोषणा पर निर्भर करेगा।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

2-5 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये से अधिक की कर योग्‍य आय वाले लोगों के लिए कर दरें क्रमश: 3 व 7 प्रतिशत बढ़ाई गईं

वित्त वर्ष 2018-19 में प्रत्‍यक्ष कर राजस्‍व में वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 78 प्रतिशत से भी अधिक का इजाफा, कुल राजस्‍व 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये के स्‍तर पर पहुंचा

प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में राहत देने का प्रस्‍ताव

किफायती मकान की खरीद के लिए ऋणों पर अदा किए गए ब्‍याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्‍त कटौती

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर अदा किए गए ब्‍याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्‍त आयकर कटौती

2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक और 5 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की कर योग्‍य आमदनी वाले उच्‍च आय वर्ग के लोगों के लिए प्रभावी कर दरों को क्रमश: 3 व 7 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया गया है। केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि बढ़ते आमदनी स्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए उच्‍च आय वर्ग के लोगों को राष्‍ट्र के विकास में और अधिक योगदान करने की जरूरत है। उन्‍होंने करदाताओं का धन्‍यवाद करते हुए कहा कि वे राष्‍ट्र निर्माण में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अपेक्षाकृत कम आय वाले छोटे एवं मझोले लोगों पर टैक्स बोझ घटाने के लिए विगत में किए गए विभिन्‍न उपायों का उल्‍लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘5 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वाले लोगों को कुछ भी टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है।’ उन्‍होंने कहा कि इनमें स्‍व-रोजगार वाले लोगों के साथ-साथ छोटे व्‍यापारी, कम आमदनी वाले लोग और वरिष्‍ठ नागरिक भी शामिल हैं।

**कर राजस्‍व बढ़ा**

सरकार द्वारा  किए गए ठोस प्रयासों की बदौलत प्रत्‍यक्ष कर राजस्‍व वर्ष 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से 78 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में तकरीबन 11.37 लाख करोड़ रुपये के स्‍तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में कर राजस्‍व में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है।

**प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में राहत**

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रतिभूति लेन-देन कर में राहत देने का प्रस्‍ताव रखा जिसके तहत इसे विकल्‍पों पर अमल के मामले में केवल निपटान एवं स्‍ट्राइक प्राइस के बीच के अंतर तक ही सीमित कर दिया गया है।

**किफायती आवास के लिए ब्‍याज की अतिरिक्‍त कटौती**

किफायती आवास को और ज्‍यादा बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री ने 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले किफायती आवास की खरीद के लिए 31 मार्च, 2020 तक उधार लिए गए ऋणों पर अदा किए गए ब्‍याज के लिए 1,50,000 रुपये तक की अतिरिक्‍त कटौती की अनुमति देने का प्रस्‍ताव रखा है। अत: किफायती मकान खरीदने वाले व्‍यक्ति को अब 3.5 लाख रुपये तक की बढ़ी हुई ब्‍याज कटौती मिल पाएगी। इससे मध्‍यम वर्ग के मकान खरीदारों को 15 वर्षों की अपनी ऋण अवधि के दौरान लगभग 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

**इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना**

उपभोक्‍ताओं के लिए किफायती इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर अदा किए गए ब्‍याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्‍त आयकर कटौती मुहैया कराएगी।

**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए समान अवसर**

भारत की वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी की बढ़ती भूमिका को ध्‍यान में रखते हुए इन्‍हें समान अवसर प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री ने उसी वर्ष के दौरान डूबत अथवा संशयात्‍मक ऋणों पर देय ब्‍याज पर टैक्‍स लगाने का प्रस्‍ताव रखा है जिस साल यह वास्‍तव में प्राप्‍त हुआ था। मौजूदा समय में यह सुविधा अनुसूचित बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्‍थानों, राज्‍यों के वित्तीय निगमों, राज्‍यों के औद्योगिक निवेश निगमों, सहकारी बैंकों और कुछ विशेष सार्वजनिक कपंनियों जैसे कि आवास वित्त कंपनियों को प्राप्‍त है।

**अंतर्राष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केन्‍द्र (आईएफएससी) को बढ़ावा देने के लिए उपाय**

वित्त मंत्री ने गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी को और भी कई प्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहन देने का प्रस्‍ताव रखा है। 15 वर्षों की अवधि के अंतर्गत 10 वर्षों के किसी भी खंड में धारा 80-एलए के तहत 100 प्रतिशत मुनाफा संबंधी कटौती भी इन प्रोत्‍साहनों में शामिल है।

**रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया**

वित्त वर्ष 2019-20 के केन्‍द्रीय बजट में उन लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्‍ताव किया गया है जिन्‍होंने किसी एक वर्ष में किसी चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमाई कराई है अथवा जिन्‍होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की है अथवा किसी एक वर्ष में बिजली खपत पर 1 लाख रुपये से ज्‍यादा की रकम खर्च की है। इसके तहत उन लोगों के लिए भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है जो निर्दिष्‍ट शर्तों को पूरा करते हैं। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग ज्‍यादा कीमत वाले लेन-देन करते हैं उन्‍हें भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

\*\*\*

वित्‍त मंत्रालय

बजट 2019-20 में भारत के 10 बिन्‍दु ‘दशक की परिकल्‍पना’

भारत इस वर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर की और 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था होगी

भारत को प्रति वर्ष औसतन 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्‍यकता

नीतिगत निष्क्रियता और लाइसेंस कोटा नियंत्रण राज के दिन लदे : वित्‍त मंत्री

केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था वर्तमान वर्ष में 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी और यह 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनने की प्रधानमंत्री की परिकल्‍पना को हासिल करने के रास्‍ते पर है। लोकसभा में आज 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए उन्‍होंने कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 55 वर्ष लगे और पिछले 5 वर्ष में करीब 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए सरकार ने एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। भारत अब विश्‍व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है, जबकि 5 वर्ष पूर्व यह 11वें स्‍थान पर थी।

अपने बजट भाषण की उत्‍साह के साथ शुरूआत करते हुए वित्‍त मंत्री ने हाल ही में संपन्‍न आम चुनाव को **उज्‍ज्‍वल और स्थिर नये भारत** के लिए नागरिकों की आशा और आकांक्षा जागृत करने का चुनाव बताया। उन्‍होंने कहा कि ये चुनाव काम करने वाली सरकार को उनकी मंजूरी की मुहर है, एक ऐसी सरकार जो अंतिम मील तक लाभ पहुंचाना चाहती है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि 2014-19 के बीच सरकार ने नयी स्‍फूर्ति के साथ केन्‍द्र-राज्‍य संबंध, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, वित्‍तीय अनुशासन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता और नीति आयोग से नियोजित तथा सहायता प्राप्‍त नया भारत दिया। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने अनेक बड़े सुधार शुरू किए। खासतौर से अप्रत्‍यक्ष कराधान, दिवालियापन, रियल एस्‍टेट के क्षेत्र में और जो लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं वे जन सामान्‍य के जीवन में सुधार ला रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि देश के सुदूरवर्ती इलाकों के अज्ञात नागरिकों तक अंतिम मील तक लाभ पहुंचाने की व्‍यवस्‍था की गई है। सरकार ने अपने कार्यों से **‘सुधार, कार्य निष्‍पादन, बदलाव’** के सिद्धांत को साबित कर‍ दिया है।

अगले दशक में भारत की परिकल्‍पना के लिए गति तय करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रमुख कार्यक्रम और सेवाएं जिनकी शुरूआत पिछले 5 वर्षों के दौरान की गई और उन्‍हें सौंपा गया, उनमें और तेजी लाई जाएगी। सरकार की **प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कामकाज के लिए प्रोत्‍साहन देने, लाल फीताशाही को कम करने और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्‍ठ इस्‍तेमाल करने** की योजना है, ताकि आवश्‍यक लक्ष्‍यों को हासिल किया जा सके। नीतिगत निष्क्रियता और लाइसेंस कोटा नियंत्रण राज के दिन अब लद चुके हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि हमारी अर्थव्‍यवस्‍था के विकास में भारत के निजी उद्योग की महत्‍वपूर्ण भूमिका है, उन्‍होंने कहा कि ये भारत के रोजगार सृजक और पूंजी लाने वाले हैं।

फरवरी 2019 में पेश 2019-20 के अंतरिम बजट की चर्चा करते हुए वित्‍त मंत्री ने सरकार की ‘**दशक की परिकल्‍पना’** के 10 बिन्‍दुओं को रखा :

1. वर्ष 2014 में जब हमने सरकार का गठन किया था, हमारी अर्थव्‍यवस्‍था करीब 1.85 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर थी। पांच वर्ष के भीतर यह 2.7 मिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गई। अत: हम अगले कुछ वर्षों में 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। हमने थी। यहां मैं हमारी परिकल्‍पना के चाहती हूं :
* वास्‍तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करना;
* डिजिटल इंडिया को अर्थव्‍यवस्‍था के प्रत्‍येक क्षेत्र तक पहुंचाना;
* हरी-भरी धरती और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्‍त भारत;
* विशेषकर एमएसएमई, स्‍टार्ट-अप्‍स, रक्षा निर्माण, वाहनों, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, वस्‍त्रों और बैटरियों तथा चिकित्‍सा उपकरणों के साथ मेक इन इंडिया;
* जल, जल प्रबंधन, स्‍वच्‍छ नदियां;
* नीली अर्थव्‍यवस्‍था;
* अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्‍द्रयान और उपग्रह कार्यक्रम;
* खाद्यान्‍नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्‍मनिर्भरता और निर्यात;
* स्‍वस्‍थ समाज – आयुष्‍मान भारत, अच्‍छी तरह से पोषित महिला और बच्‍चा। नागरिकों की सुरक्षा;
* जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया। न्‍यूनतम सरकार अधिकतम शासन।

उपरोक्‍त बिन्‍दुओं के बारे में विस्‍तार से जानकारी देते हुए वित्‍त मंत्री ने निवेश चालित विकास के मॉडल पर जोर दिया, ताकि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था को हासिल किया जा सके। उन्‍होंने कहा कि सरकार इस बात को पहचानती है कि निवेश चालित विकास के लिए कम लागत की पूंजी तक पहुंचना आवश्‍यक है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत को हर वर्ष औसतन 20 लाख करोड़ रुपए (एक वर्ष में 300 अरब अमरीकी डॉलर) के निवेश की आवश्‍यकता होगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि यह भी अनुमान लगाया गया है कि रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 2018-2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। उन्‍होंने तेजी से विकास और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का इस्‍तेमाल करने तथा **राष्‍ट्रीय राजमार्ग ग्रिड, गैस ग्रिड, जल ग्रिड, अंतर्देशीय राजमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों**के विकास के लिए इस वर्ष एक खाका तैयार करने का प्रस्‍ताव रखा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संभावनाओं का पता लगाने पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि गैर-वित्‍तीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने के साथ कुछ चुनी हुई सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश इस सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। यदि उपक्रम सरकार के नियंत्रण में रहता है, तो सरकार अलग-अलग मामलों के आधार पर 51 प्रतिशत से लेकर किसी उपयुक्‍त स्‍तर तक जाएगी। उन्‍होंने कहा कि सरकार वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश राजस्‍व का 1,05,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ लक्ष्‍य स्‍थापित कर रही है।

भारत के युवाओं को विदेशों में नौकरियों के लिए तैयार करने के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार भाषा के प्रशिक्षण सहित विदेश के लिए आवश्‍यक निर्धारित कौशल बढ़ाने पर ध्‍यान देगी। नये युग के कौशलों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्‍स, बिग डेटा, 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रिएलिटी और रॉबोटिक्‍स पर विशेष ध्‍यान दिया जाएगा, जिनको देश के भीतर और बाहर काफी महत्‍व दिया जाता है और उन्‍हें अधिक वेतन की पेशकश की जाती है।

अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने दूरदर्शन के चैनलों पर विशेष रूप से स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू करने, उनके विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने, पूंजीपतियों के साथ मैचमैकिंग और निधियन तथा कर नियोजन का प्रस्‍ताव रखा।

उद्योग क्षेत्र के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई के लिए ब्‍याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को 2 प्रतिशत ब्‍याज सब्सिडी के लिए वित्‍त वर्ष 2019-20 में 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार एक भुगतान प्‍लेटफॉर्म बनाएगी, ताकि वहां बिल जमा कराने और भुगतान की व्‍यवस्‍था हो सके। इसके अलावा सरकार का बहुउद्देशीय श्रम कानूनों का 4 श्रम कानून कोड बनाने का प्रस्‍ताव है, जिससे विवादों को कम किया जा सकेगा।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर **हम अपने अधिकारों को कम किए बिना देश के प्रति अपने कर्तव्‍यों पर ध्‍यान दें**।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

सभी देशवासियों के लिए शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है

सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 2024 तक ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने के लिए ‘जल जीवन मिशन’

नया मंत्रालय- “जल शक्ति मंत्रालय” राज्य सरकारों के साथ मिलकर समन्वित और समग्र रूप से जल संसाधनों और जल आपूर्ति का प्रबंधन करेगा

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी देशवासियों के लिए शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को आपस में जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाना इस दिशा में एक प्रमुख कदम है। यह नया मंत्रालय एक  समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन और जल आपूर्ति की देखरेख करेगा। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस मिशन में वर्षा जल संचय, भूजल संभरण और घरों में इस्तेमाल किए गए जल का कृषि में इस्तेमाल के लिए स्थानीय अवसंचरना के निर्माण सहित, स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति से जुड़े प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। देश भर में टिकाउ जल आपूर्ति प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में केन्द्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’ के लिए 256 जिलों के ऐसे 1592 ब्लॉकों की पहचान की है, जहां जल का संकट है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध धन का इस्तेमाल करने के अलावा, सरकार ‘पूरक वानिकी निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण’ (सीएएमपीए) के तहत उपलब्ध अतिरिक्त धन के इस्तेमाल की संभावना भी तलाशेगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

‘पारंपरिक उद्योगों के उन्‍नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (स्‍फूर्ति)’ का लक्ष्‍य सतत रूप से रोजगार अवसर सृजित करने के लिए और ज्‍यादा साझा सुविधा केन्‍द्रों की स्‍थापना करना है

‘स्‍फूर्ति’ में 50,000 कारीगरों की आर्थिक मदद के लिए वर्ष 2019-20 में 100 नए क्‍लस्‍टर स्‍थापित करने की परिकल्‍पना की गई है

अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए व्‍यापक उत्‍पादन स्‍तर सुनिश्चित करने हेतु 10,000 नए किसान उत्‍पादक संगठन बनाए जाएंगे

प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना के तहत एक सुदृढ़ मत्‍स्‍य प्रबंधन रूपरेखा स्‍थापित की जाएगी

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने ‘पारंपरिक उद्योगों के उन्‍नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (स्‍फूर्ति)’ के तहत और ज्‍यादा साझा सुविधा केन्‍द्रों (सीएफसी) की स्‍थापना करने का लक्ष्‍य रखा है। वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि इससे पारंपरिक उद्योगों को और ज्‍यादा उत्‍पादक, लाभप्रद एवं सतत रोजगार अवसरों को सृजित करने में सक्षम बनाने के लिए क्लस्‍टर आधारित विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसके तहत फोकस वाले क्षेत्र या सेक्‍टर बांस, शहद और खादी क्‍लस्‍टर हैं। ‘स्‍फूर्ति’ के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नए क्‍लस्‍टर स्‍थापित करने की परिकल्‍पना की गई है जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्‍य श्रृंखला से जुड़ सकेंगे।

आजीविका व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटरों (एलबीआई) और प्रौद्योगिकी व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटरों (टीबीआई) की स्‍थापना के लिए ‘नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना (एस्‍पायर)’ को समेकित किया गया है। इस योजना के तहत कृषि-ग्रामीण उद्योग सेक्‍टरों में 75,000 कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए वर्ष 2019-20 में 80 आजीविका व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटरों की स्‍थापना करने की मंशा व्‍यक्‍त की गई है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मत्‍स्‍य पालन एवं मछुआरा समुदाय खेती-बाड़ी से काफी हद तक जुड़े हुए हैं और ये ग्रामीण भारत के लिए अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण माने जाते हैं। मत्‍स्‍य पालन विभाग ‘प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)’ के जरिए एक सुदृढ़ मत्‍स्‍य पालन प्रबंधन रूपरेखा स्‍थापित करेगा। इस योजना के जरिए अवसंरचना, आधुनिकीकरण, उत्‍पादकता, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित संपूर्ण मूल्‍य श्रृंखला (वैल्‍यू चेन) के सुदृढ़ीकरण के मार्ग में मौजूद बाधाओं को दूर किया जाएगा।

कृषि से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में व्‍यापक निवेश करने संबंधी सरकारी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खेतों से प्राप्‍त होने वाली किसानों की उपज के साथ-साथ सहायक गतिविधियों से प्राप्‍त उत्‍पादों जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्‍पादन के लिए बांस एवं लकड़ी के मूल्‍य वर्द्धन को बढ़ावा देने हेतु निजी उद्यमिता को आवश्‍यक सहयोग देगी। ‘अन्‍नदाता’ दरअसल ‘ऊर्जादाता’ भी बन सकते हैं। उन्‍होंने यह भी घोषणा की कि 10,000 नए किसान उत्‍पादक संगठन बनाए जाएंगे, ताकि अगले पांच वर्षों के दौरान किसानों के लिए व्‍यापक उत्‍पादन स्‍तर सुनिश्चित किया जा सके। पशु चारे के उत्‍पादन और दूध की खरीद, प्रोसेसिंग एवं विपणन के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को सृजित करके भी सहकारी समितियों के जरिए डेयरी को प्रोत्‍साहित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कृषि विपणन का उल्लेख करते हुए कहा, ‘हमारी केन्‍द्र सरकार निरंतर राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि किसान ‘ई-नाम’ से लाभान्वित हो सकें। कृषि उपज विपणन सहकारिता (एपीएमसी) अधिनियम के कारण किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्‍य पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। ‘कारोबार में सुगमता’ और ‘जीवनयापन में सुगमता’ दोनों को किसानों पर भी लागू किया जाना चाहिए। हम एक विषय यानी ‘शून्‍य बजट खेती-बाड़ी’ के मामले में फिर से बुनियादी बातों पर गौर करेंगे। हम इस अभिनव मॉडल की पुनरावृत्ति करेंगे। इस तरह के कदम देश की आजादी के 75वें वर्ष में किसानों की आमदनी को वास्‍तव में दोगुना कर सकते हैं।

वित्‍त मंत्रालय

सरकार प्रौद्योगिकी के माध्‍यम से जीवन को व्‍यापक रूप से सुगम बनाएगी

सोलर स्‍टोव और बैटरी चार्जरों को बढ़ावा देने के लिए एलईडी बल्‍ब मिशन पद्धति का इस्‍तेमाल

सरकार रेल यात्रा आरामदायक और सुखद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर रेल स्‍टेशन आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू करेगी

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्‍य अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्‍ध करा कर नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना है। उन्‍होंने कहा कि डिजिटल भुगतान सेवाओं को सरकार सहित सभी स्‍थानों पर स्‍वीकार्यता मिल रही है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि लगभग 30 लाख श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जुड़ चुके हैं। इस योजना का लक्ष्‍य असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के करोड़ों कामगारों को 60 वर्ष से अधिक आयु का होने पर 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन उपलब्‍ध कराना है। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 5 मार्च, 2019 को अहमदाबाद में शुरू की गई थी।

**उज्‍ज्‍वला योजना**

वित्‍त मंत्री ने कहा कि अच्‍छे और सहज जीवन के निर्वहन के लिए स्‍वच्‍छ वातावरण और सतत ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करना बहुत महत्‍वपूर्ण है। उन्‍होंने कहा कि देशभर में परिवार स्‍तर पर एलईडी बल्‍ब का बड़े पैमाने पर वितरण करने का कार्यक्रम आरंभ किया गया था जिसके परिणाम स्‍वरूप पारंपरिक बल्‍ब और सीएफएल चलन से बाहर हो गए। अनुमान के अनुसार लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्‍ब उजाला योजना के अंतर्गत वित‍रित किए गए। इससे सालाना 18,341 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। भारत पारंपरिक बल्‍बों के उपयोग से मुक्‍त होने जा रहा है और सीएफएल का उपयोग भी पहले से काफी कम हो गया है। उन्‍होंने कहा कि हम देश में सोलर स्‍टोव और बैटरी चार्जरों के उपयोग को प्रोत्‍साहित करने के लिए मिशन एलईडी बल्‍ब पद्धति अपनाएंगे।

**रेलवे स्‍टेशन आधुनिकीकरण**

वित्‍त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि आम नागरिकों के लिए रेल यात्रा को आरामदायक व सुखद बनाने के लिए सरकार इस साल बड़े पैमाने पर रेलवे स्‍टेशन आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू करेगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

केन्‍द्रीय बजट में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को सशक्‍त बनाने का प्रस्‍ताव

ब्‍याज माफी योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए का आवंटन

1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार करने वाले 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन लाभ देने का फैसला

इस वर्ष स्‍फूर्ति के अंतर्गत 100 नए कलस्‍टरों की स्‍थापना होगी, 50,000 कारीगर होंगे लाभांवित

इस साल कृषि-ग्रामीण उद्योग में 75,000 कुशल उद्यमियों को तैयार करने के लिए 80 आजीविका व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटर, 20 प्रौद्योगिकी व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटर

 **‘मेक इन इंडिया’** उन प्रमुख क्षेत्रों में से है, जिन पर इस साल के केन्‍द्रीय बजट में मुख्‍य रूप से ध्‍यान केन्द्रित किया गया है।  केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए इस क्षेत्र को सशक्‍त बनाने के उद्देश्‍य से विभिन्‍न प्रस्‍तावों की घोषणा की।

एमएसएमई क्षेत्र की ऋण तक सुगम पहुंच उपलब्‍ध कराने के लिए सरकार ने एक समर्पित ऑन लाइन पोर्टल के माध्‍यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्‍ध कराने की योजना शुरू की है। **ब्‍याज माफी योजना** के त‍हत समस्‍त जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए नए अथवा पुराने ऋणों पर दो प्रतिशत की ब्‍याज माफी हेतु वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमई के लिए एक भुगतान प्‍लेटफॉर्म का सृजन करेगी। ताकि बिल प्रस्‍तुत करने और उसके भुगतान का कार्य एक ही प्‍लेटफॉर्म पर किया जा सके।

वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना नामक नई योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार करने वाले लगभग तीन करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना में नामांकन प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा जिसमें केवल आधार और बैंक खाते ही जरूरत होगी और शेष स्‍वघोषणा पर निर्भर करेगा।

वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि ‘पारंपरिक उद्योगों के उन्‍नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (स्‍फूर्ति)’ के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नए कलस्‍टरों की स्‍थापना की जाएगी। जिससे 50,000 शिल्‍पकारों को आर्थिक मूल्‍य श्रंखला में शामिल होने में समर्थ बनाया जाएगा। स्‍फूर्ति का लक्ष्‍य पारंपरिक उद्योगों को अधिकाधिक उत्‍पादक, लाभदायक और रोजगार के निरंतर अवसर सृजित करने में सक्षम बनाने हेतु  कलस्‍टर आधारित विकास को सुगम बनाना है। बांस, शहद और खादी क्षेत्र संकेन्द्रित क्षेत्र हैं।

वर्ष 2019-20 में 80 आजीविका व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्‍यवसाय इन्‍क्‍यूबेटरों की स्‍थापना करने के लिए लिए ‘नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना (एस्‍पायर)’ को समेकित किया जाएगा। ताकि 75,000 कुशल उद्यमियों को विकसित किया जा सके।

बजट में कहा गया है कि सरकार किसानों के खेत से होने वाली उपज और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए मूल्‍यवर्धन के कार्य में लगे निजी उद्यमशीलता की सहायता करेगी। मवेशी चारा विनिर्माण, सामान्‍य खरीद, प्रसंस्‍करण और विपणन के लिए सहकारी समितियों के माध्‍यम डेयरी कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा।

केन्‍द्रीय बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अप्रत्‍यक्ष करों के अंतर्गत भी प्रस्‍ताव किए गए हैं, जिनसे एमएसएमई क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकता है। उदाहरण के लिए घरेलू उद्योग को समस्‍तरीय क्षेत्र मुहैया कराने के लिए काजू गरी, पीबीसी, विनाइल फ्लोरिंग, टाइल, फर्नीचर के लिए मैटल फिटिंग माउंटिंग, ऑटो पार्ट्स कुछ खास प्रकार के सिंथेटिक रबड़, मार्बल स्‍लैब्‍स, ऑप्टिकल फाइबर केवल, सीसीटीवी कैमरा, आईपी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर जैसी मदों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क बढ़ाया जा रहा है। भारत में विनिर्मित किए जाने वाली कुछ खास मदों पर सीमा शुल्‍क छूट को भी वापस लिया जा रहा है। इसके अलावा पाम, स्‍टेरिंग, वसा युक्‍त तेलों पर अंतिम प्रयोग आधारित छूट तथा विभिन्‍न प्रकार के कागजों पर छूट भी समाप्‍त की जा रही है।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

भारतीय अर्थव्यवस्था में नीतिगत उपायों से विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विज़न प्रस्तुत किया। इस विज़न का मुख्य आधार है- निवेश प्रेरित विकास और रोजगार सृजन।

इस दिशा में कर नीति उपाय निम्न हैं-

स्टार्ट-अप के लिए लाभ से जुड़ी छूट की शुरूआत

अवसंरचना जैसे कुछ क्षेत्रों को निवेश से जुड़ी छूट

आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन

रोजगार सृजन के छूट के लिए दायरे को बढ़ाया गया, योग्यता की शर्तों में ढील दी गई

एमएटी देयता की गणना के लिए लाभ दिया जाना और दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत घाटे को आगे ले जाना

एमएटी ऋण को आगे ले जाने के लिए समयावधि को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल किया गया

घरेलू और विदेश निवेश को बढ़ाने के लिए युक्त पहलों को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। हमें अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा लघु और मध्यम कम्पनियों में रोजगार सृजन के लिए भारी निवेश की जरूरत है। मुद्रा ऋण के जरिए आम लोगों के जीवन में बदलाव आया।

      सरकार ने अपना इरादा जाहिर किया है कि वह ढांचागत संरचना के लिए अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल ढुलाई गलियारे, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं, जलमार्ग विकास एवं उड़ान योजनाओं को लागू किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

      **अवसंरचना वित्त पोषण के लिए पूंजी के स्रोतों को बढ़ाने हेतु उपायः**

ऋण गारंटी विस्तार निगम का गठन 2019-20 के दौरान किया जाएगा।

लम्बी अवधि के बॉन्ड के लिए बाजार के विस्तार हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी, इसके लिए विशेष ध्यान अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा।

आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई/एफपीआई के निवेश को अनुमति, किसी घरेलू निवेशक द्वारा अधिसूचित लॉक-इन अवधि के अंतर्गत इन्हें हस्तांतरित/बेचा जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 की तुलना में 2017-18 के दौरान जारी किए गए पेंटेंटों की संख्या में तीन गुनी वृद्धि हुई।

अगले दशक के विज़न का उल्लेख बजट में किया गया। इसमें भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के निर्माण, मेक इन इंडिया, एमएसएमई, स्टार्ट-अप, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, बैटरी, चिकित्सा उपकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें विकास और रोजगार सृजन पर फोकस  रहेगा।

बजट दस्‍तावेज में नए दशक के विजन का उल्‍लेख किया गया है। दस्तावेज में वस्‍तुगत और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, एमएसएमई, र्स्‍टाटअप्‍स पर विशेष रूप से जोर देकर मेक इन इंडिया, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल्‍स इलेक्‍ट्रोनिक्‍स, फैब्‍स और बैटरियां, चिकित्‍सा उपकरणों, रोजगार सृजन और विकास पर जोर दिया गया है।

      एमएसएमई के लिए ब्‍याज छूट योजना के तहत वित्‍तवर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को नए या बढ़ते हुए ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्‍याज छूट का प्रावधान है। सरकार एमएसएमई के बिलों का भुगतान करने और सरकारी भुगतानों में देरी को समाप्‍त करने के लिए उन्‍हें अपने ही प्‍लेटफार्म पर भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए एक भुगतान प्‍लेटफार्म बनाएगी। इसके अलावा सरकार लगभग 3 करोड़ खुदरा व्‍यापारियों, छोटे दुकानदारों को, जिनका वार्षिक व्‍यापार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, उन्‍हें प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन के लाभ प्रदान करेगी।

      बजट में 2019-20 के दौरान 100 नए कलस्‍टरों की स्‍थापना की कल्‍पना की गई है। स्‍फूर्ति योजना के तहत आर्थिक मूल्‍य श्रृंखला में शामिल होने के लिए 50 हजार दस्‍तकार सक्षम होंगे। इसके अलावा 10 हजार नए किसान उत्‍पादक संगठनों की स्‍थापना का भी प्रस्‍ताव है ताकि नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता(एस्‍पायर) योजना के तहत किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जा सके।

मानव संसाधन के सृजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, बजट में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव किया गया है, जो विद्यालय और उच्चतर शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के साथ-साथ बेहतर शासन प्रणाली और अनुसंधान एवं खोज पर और अधिक जोर देगी। इसके अलावा, देश में अनुसंधान के वित्त पोषण, समन्वय और बढ़ावे के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, ‘विश्व स्तरीय संस्थान’ शीर्ष के तहत 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में तीन गुना अधिक है।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पंजीकरण और विवरणी दाखिले के मानकीकरण एवं सुसंगत बनाने के क्रम में अनेक श्रमिक कानूनों को मिलाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर जोर देने के अन्य उपायों में शामिल है। इसके अलावा, विशेष तौर पर स्टार्ट-अप उद्योगों के लिए दूरदर्शन के चैनलों में कार्यक्रम शुरू करने का भी एक प्रस्ताव है।

**\*\*\*\***



वित्‍त मंत्रालय

केन्द्रीय बजट में ढांचागत संरचना को धन उपलब्ध कराने के लिए पूंजी के स्रोतों को बढ़ाने के उपायों का प्रस्ताव दिया गया है

ऋण गांरटी संवर्धन निगम का गठन 2019-20 में किया जाएगा

दीर्घ अवधि के बॉन्ड के लिए बाजार को मजबूत करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी

प्रविष्टि तिथि: 05 JUL 2019 1:54PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ऋण गांरटी संवर्धन निगम का गठन 2019-20 में किया जाएगा।

हम मानते हैं कि निवेश प्रेरित विकास के लिए कम लागत वाली पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि भारत को प्रतिवर्ष औसत 20 लाख करोड़ रुपये (प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमरीकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता है। अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता हैः

ऋण गांरटी संवर्धन निगम जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियम अधिसूचित किए गए हैं, को 2019-20 में अधिसूचित किया जाएगा।

अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए कॉरपोरेट, क्रेडिट डिफाल्टट स्वैप सहित दीर्घाविधिक बॉन्डों के लिए बाजार को मजबूती प्रदान करने हेतु एक योजना लाई जाएगी।

आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई/एफपीआई द्वारा किए गए निवेश को विनिर्दिष्ट लाक-इन अवधि के भीतर किसी भी घरेलू निवेशक को अंतरित किए जाने/बेचे जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

केन्द्रीय बजट में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है

आरबीआई डिपॉजिटरीज और सेबी डिपॉजिटरीज के आपसी विनिमय के लिए सरकार जरूरी उपाय करेगी

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अब पूंजी बाजारों को जन सामान्य के निकट ले जाने और समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय आ गया है। सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कार्य करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक दायरे में इलेक्ट्रोनिक फंड रेइजिंग प्लेटफॉर्म ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए मैं कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूं, ताकि वे इक्विटी ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकें।

वित्त मंत्री ने कहा कि खुदरा निवेशकों का सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक के प्रयासों को स्टॉक एक्सचेंज का उपयोग करते हुए संस्थागत विकास के साथ मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आरबीआई डिपॉजिटरीज और सेबी डिपॉजिटरीज के बीच आपसी विनिमय आवश्यक है, ताकि ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों का आरबीआई और डिपॉजिटरी लेजर के बीच हस्तांतरण हो सके। आरबीआई और सेबी के साथ परामर्श के पश्चात सरकार जरूरी कदम उठाएगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

केन्द्रीय बजट में कॉरपोरेट ऋण बाजार को विस्तार देने के उपायों का प्रस्ताव दिया गया है

सरकार आरबीआई/सेबी जैसे नियामकों के साथ मिलकर कार्य करेगी, ताकि स्टॉक एक्सचेंज को ‘एए’ श्रेणी के बॉन्डों को कोलेटरल के रूप में अनुमति देने के लिए सक्षम बनाया जा सके

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में कॉरपोरेट ऋण बाजार को विस्तार देने के उपायों का प्रस्ताव दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट ऋण बाजार अवसंरचना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि बॉन्ड निर्गमण की संख्या और मूल्य में बढ़ोतरी हुई है लेकिन पिछले दो वर्षों में इनमें कमी आई है। बाजार निजी प्लेसमेंट के पक्ष में नजर आता है। बॉन्ड के बाजारों को विस्तार देने की आवश्यकता को देखते हुए, कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता हैः-

कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में कॉरपोरेट त्रिपक्षीय रेपो बाजार को विस्तार देने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ कार्य करेगी ताकि स्टॉक एक्सचेंजों को लेटरल के रूप में ‘एए’ दर्जा वाले बॉन्ड की अनुमति दिए जाने में सक्षम बनाया जा सके।

आईएसआईएन की कैपिंग से पैदा हुए मुद्दों सहित कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए ट्रडिंग प्लेसफॉर्म के प्रयोक्ता प्लेटफॉर्म के प्रयोक्ता अनुकूलता की समीक्षा की जाएगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का प्रस्ताव

एफडीआई के लिए एकल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर आपूर्ति नियमों में ढील दिए जाने का भी प्रस्ताव है

एफपीआई के लिए वर्तमान केवाईसी नियमों को संतुलित बनाने से यह निवेशक अनुकूल होगा

प्रस्तावित एनआरआई पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट का फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट में विलय कर दिया जाएगा, ताकि एनआरआई को भारतीय इक्विटी तक बाधारहित पहुंच प्राप्त हो

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि एफडीआई के लिए एकल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर आपूर्ति नियमों में ढील दिए जाने का भी प्रस्ताव है।

वैश्विक अड़चनों के बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा। वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018 में 13 प्रतिशत गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर आ गया। यूएनसीटीएडी के विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह तीसरी लगातार वार्षिक गिरावट थी। 2018-19 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 64.375 बिलियन अमरीकी डॉलर पर मजबूत रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत को अधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का गंतव्य स्थान बनाने के लिए मैं इस आय को और अधिक समेक्षित करने का प्रस्ताव रखती हूं।

ए. सरकार विमानन, मीडिया (एनिमेशन, एवीजीसी) और बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए और अधिक खोलने के सुझावों पर विचार करेंगी। इसके लिए सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

बी. बीमा मध्यस्थता कम्पनियों में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अनुमति दी जाएगी।

सी. एकल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के लिए स्थानीय आपूर्ति नियमों को आसान बनाया जाएगा।

यह उचित समय है कि भारत न केवल माल और सेवाओं के उत्पादन की वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बने अपितु वैश्विक बचत जुटाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बने, जो अधिकांशतः पेंशन, बीमा और सावरन वेल्थ फंड में संस्था का रूप ले चुके है। सरकार, ऐंकर के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि (एमआरआईएफ) का उपयोग करके वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है। इसमें सभी तीन श्रेणियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धी-शीर्ष के उद्योगपति/कॉरपोरेट होंचो, शीर्ष के पेंशन/बीमा/संप्रभु संपत्ति निधियां और सर्वोत्तम डिजिटल प्रौद्योगिकी/उद्यम निधियों को आमंत्रित किया जाना है।

सीमा पार निवेश जुटाने का एक महत्वपूर्ण कारक एफ पी आई के पास निवेशयोग्य स्टॉक की उपलब्धता है। स्टॉक लक्षित निवेश से निष्क्रिय निवेश की ओर धीर-धीरे बदलाव को देखते हुए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके द्वारा निधियां वैश्विक सूचकांकों का अनुसरण करती है, ज उपलब्ध अस्थिर स्टॉक पर  निर्भर करती है। तदनुसार, कम्पनी में एफपीआई निवेश के लिए सांविधिक सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी सीमा तक करने का प्रस्ताव रखती हूं। इसमें संबंधित कॉरपोरेटों को न्यूनतम सीमा राशि सीमित करने का विकल्प दिया जाता है।

यद्यपि भारत विश्व का शीर्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता है, भारतीय पूंजी बाजार मे अनिवासी भारतीयों का निवेश तुलनात्मक दृष्टि से कम है। भारतीय इक्विटी तक अनिवासी भारतीयों को निर्बाध पहुंच मुहैया कराने की दृष्टि से मैं, एनआरआई पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट का फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट मांग में विलय करने का प्रस्ताव रखती हूं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी के मुख्य स्रोत के रूप में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सुव्यवस्थित और निर्बाध निवेश अनुभव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए मौजूदा अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों को युक्ति संगत बनाने और दुरुस्त करने का प्रस्ताव है जिससे कि सीमा-पार पूंजी प्रवाह की अखंडता से समझौता किए बगैर इसे अधिकाधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

सरकार का 2019-20 के दौरान 1,05,000 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य

एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के प्रस्ताव को फिर से शुरू किया जाएगा

निजी क्षेत्र द्वारा रणनीतिक सहभागिता के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की संख्या बढ़ाई गई

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 2019-20 के दौरान 1,05,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री करेगी और गैर-वित्तीय क्षेत्र में लोक-उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश नीति को जारी रखेगी। सरकार 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखेगी। ऐसे उद्यमों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा, जहां सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम हो जाती है और सरकार नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। सरकार ने 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी की वर्तमान नीति में भी संशोधन का फैसला लिया है। इसके लिए 51 प्रतिशत हिस्सेदारी में सरकार नियंत्रित संस्थाओं की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। सरकार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगी और निजी क्षेत्र द्वारा सहभागिता के लिए सार्वजनिक् क्षेत्र के उद्यमों का प्रस्ताव देगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

जीएसटी प्रक्रियाओं को और सरल बनाया गया: 5 करोड़ वार्षिक से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को त्रिमासिक जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है: सामान आपूर्तिकर्ता के लिए शुरूआती सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गई

पूर्व जीएसटी शासन पूर्व के 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले मुकदमों के निपटान के लिए सबका विश्‍वास विवाद समाधान नीति योजना

भारत में गैर-निर्मित रक्षा उपकरणों पर सीमा शुल्‍क की छूट: मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क बढ़ाया गया

पेट्रोल और डीजल के उत्‍पाद शुल्‍क और उपकर में एक-एक रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्‍तरी: सोने और अन्‍य बहुमूल्‍य धातुओं पर लगने वाला सीमा शुल्‍क 10  प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया: तम्‍बाकू उत्‍पादों और क्रूड पर बहुत कम उत्‍पाद शुल्‍क लगाया गया

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्‍द्रीय बजट-2019-20 में अप्रत्‍यक्ष करों से संबंधित प्रमुख प्रस्‍तावों में  जीएसटी प्रक्रियाओं को और सरल बनाया गया है। पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्‍त उत्‍पाद शुल्‍क बढ़ाया गया है, सोने और बहुमूल्‍य धातुओं पर सीमा शुल्‍क बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है, तम्‍बाकू और क्रूड पर नाम मात्र का उत्‍पाद शुल्‍क लगाना शामिल है: बजट में कुछ रक्षा उपकरणों को आयात में छूट देने, कुछ कच्‍चे माल और पूंजीगत वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क घटाने तथा कच्‍चे और अर्ध परिष्‍कृत चमड़े पर आयात शुल्‍क तर्कसंगत बनाने का प्रावधान किया गया है।

**जीएसटी**

श्रीमती निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि जीएसटी प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जा रहा है। उन्‍होंने वस्‍तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये से अधिक करने की घोषणा की। 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाता अपनी रिटर्न हर तिमाही में दाखिल करेंगे। छोटे व्‍यापारियों के लिए रिटर्न तैयार करने हेतु मुफ्त लेखा साफ्टवेयर उपलब्‍ध कराया गया है। एक पूरी तरह स्वचालित जीएसटी रिफंड मॉडयूल लागू किया जाएगा। किसी करदाता के लिए एक से अधिक कर लेजरों के स्‍थान पर एक ही लेजर बनाया जाएगा।

बजट में इलेक्‍ट्रोनिक इनवॉयस प्रणाली का प्रस्‍ताव किया गया है, जिसमें इनवॉयस विवरण जारी होने के साथ ही इस केन्‍द्रीय प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा। इसका करदाता द्वारा रिटर्न फाइल करने से पूर्व उपयोग किया जा सकेगा। अलग से ई-वे बिल की कोई जरूरत नहीं होगी। जनवरी, 2020 से शुरू होने वाली इलेक्‍ट्रोनिक इनवॉयस प्रणाली अनुपालन भार को कम करने में महत्‍वपूर्ण साबित होगी।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के साथ अप्रत्‍यक्ष कर की स्थिति में महत्‍वपूर्ण सुधार हुआ है। इसे भारी सुधार की संज्ञा देते हुए उन्‍होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली केन्‍द्र और राज्‍य को एक साथ लाने में समर्थ हुई है, जिसके परिणाम स्‍वरूप 17 कर और 13 उपकर एक हो गए हैं और करों की विभिन्‍न दरों की संख्‍या केवल चार हो गई है। लगभग सभी वस्‍तुओं की दरों में कमी हुई है। दसों तरह की रिटर्नों का स्‍थान एक रिटर्न ने ले लिया है। कर विभाग के अधिकारियों से करदाताओं का आमना-सामना कम हो गया है। सीमा पर होने वाली जांच पड़ताल समाप्‍त हो गई है। एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में वस्‍तुओं की आवाजाही बाधा मुक्‍त होने से समय और ऊर्जा की बचत हुई है। एक राष्‍ट्र एक कर का सपना अर्जित हुआ है।

जीएसटी परिषद की प्रशंसा करते हुए वित्‍तमंत्री ने कहा कि जीएसटी के शुरूआती चरण के दौरान सामने आई समस्‍याओं के समाधान के लिए परिषद, केन्‍द्र और राज्‍यों ने सक्रिय रूप से काम किया है। जीएसटी की दरों में काफी कमी हुई है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 92 हजार करोड़ रुपये की राहत मिली है।

**सबका विश्‍वास विवाद समाधान नीति योजना**

जीएसटी शासन से पूर्व बड़ी संख्‍या में लम्बित मामलों के मुद्दों पर उन्‍होंने कहा कि इस भार को हटा कर व्‍यापार को आगे बढ़ने की अनुमति देने की जरूरत है। सेवा कर और उत्‍पाद कर के विवादों में 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि फंसी हुई है। बजट में विवाद समाधान-सह-माफी योजना ‘सबका विश्‍वास विवाद समाधान नीति योजना-2019’ का प्रस्‍ताव किया गया है। इससे इन विवादों के जल्‍दी समाप्‍त होने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्‍वैच्छिक खुलासा मामलों के अलावा अन्‍य मामलों के लिए कर में 40 से 70 प्रतिशत की राहत दी जाती है, जो कर की देय राशि पर निर्भर करती है। इस योजना में ब्‍याज और जुर्माने के भुगतान में भी राहत देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत मुक्‍त किए गए व्‍यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

**सीमा शुल्‍क**

सीमा शुल्‍क के बारे में वित्‍तमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने, मेक इन इंडिया के तहत अधिक घरेलू मूल्‍य संवर्धन अर्जित करने, आयात निर्भरता कम करने, एमएसएमई क्षेत्र को संरक्षण देना, स्‍वच्‍छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, अनावश्‍यक आयात को रोकने, कमियां दूर करने के उद्देश्‍य के साथ प्रस्‍तावों को तैयार किया गया है। रक्षा आधुनिकीकरण और उन्‍नयन को राष्‍ट्रीय प्राथमिकता और तुरंत जरूरत बताते हुए बजट में देश में निर्मित न होने वाले रक्षा उपकरणों के आयात पर मूल सीमा शुल्‍क में छूट देने का प्रस्‍ताव किया गया है।

मेक इन इंडिया को उत्‍साह जनक लक्ष्‍य बताते हुए वित्‍तमंत्री ने कुछ विशेष वस्‍तुओं पर मूल सीमा शुल्‍क बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया है, जिससे घरेलू उद्योगों को समानता का अवसर उपलब्‍ध हो। इन वस्‍तुओं में पीवीसी, काजू गिरी, विनाइल फलोरिंग, टाइल्‍स, मैटल फिटिंग्‍स, फर्नीचर माउंटिंग्‍स, ऑटो पार्ट्स, विशेष किस्‍म के सिंथेटिक रबड़, मार्बल स्‍लैब्स, केबिल, सीसीटीवी कैमरा, आईटी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकार्ड शामिल हैं। उन्‍होंने देश में अब निर्मित हो रही कुछ विशेष इलेक्‍ट्रोनिक वस्‍तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्‍क छूट को वापस लेने का प्रस्‍ताव किया है। देश के प्रकाशन और प्रिंटिंग उद्योग को प्रोत्‍साहित करने के लिए आयातित किताबों पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्‍क लगाया जाएगा।

घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ कच्‍ची सामग्रियों और पूंजीगत वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क घटाने का प्रस्‍ताव किया गया है। इन वस्‍तुओं में सीआरजीओ सीट के कुछ उत्‍पाद, अलोय रिबन, ईथाइलीन डाइक्‍लोराइड, प्रोपाइलीन ऑक्‍साइड, कोबाल्‍ट मेट, नेफ्था, ऊन फाइबर, कृत्रिम किडनी निर्माण के सामान और डिस्‍पोजेबल स्‍ट्रेलाइज्ड, डाइलाइजर और न्‍यूक्लियर पॉवर संयंत्रों का ईंधन शामिल है। वित्‍तमंत्री ने ई-मोबिलिटी को और प्रोत्‍साहित करने के लिए विद्युत वाहनों के कुछ पुर्जों पर छूट देने की घोषणा की है।

**पेट्रोल और डीजल पर शुल्‍क और उपकर**

वित्‍तमंत्री ने कहा कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर विशेष अतिरिक्‍त उत्‍पाद शुल्‍क तथा सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया है। कच्‍चे तेल के मूल्‍य कम हुए हैं। इससे पेट्रोल पर उत्‍पाद शुल्‍क और उपकर की समीक्षा करने का मौका मिला है।

 श्रीमती सीतारामन ने सोने और अन्‍य मूल्‍यवान धातुओं पर लगने वाले सीमा शुल्‍क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की है। बजट में कच्‍चे और अर्ध परिष्‍कृत चमड़े पर निर्यात शुल्‍क को तर्कसंगत बनाने का प्रस्‍ताव किया है ताकि इस क्षेत्र को राहत उपलब्‍ध हो।

**तम्‍बाकू उतपादों और क्रूड पर शुल्‍क**

      वित्‍तमंत्री ने बताया कि तम्‍बाकू उत्‍पाद और क्रूड राष्‍ट्रीय आपदा और आकस्मिक ड्यूटी को बढ़ावा देते हैं। कुछ मामले इसी आधार पर लड़े जा रहे हैं कि इन वस्‍तुओं पर कोई मूल उत्‍पाद शुल्‍क नहीं है। इस मुद्दे के निपटान के लिए बजट में तम्‍बाकू उत्‍पादों और क्रूड पर बहुत कम मूल उत्‍पाद शुल्‍क लगाने का प्रस्‍ताव है। उन्‍होंने सीमा शुल्‍क अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्‍ताव किया। उन्‍होंने बताया कि मौजूदा रूख से पता चला है कि अनावश्‍यक छूट और निर्यात प्रोत्‍साहन प्राप्‍त करने के लिए कुछ फर्जी कम्‍पनियां गलत तरीके अपना रही हैं। उन्‍होंने यह घोषणा की कि 50 लाख रुपये से अधिक की शुल्‍क मुक्‍त स्क्रिप्‍स और ड्रॉबैक सुविधा का गलत उपयोग करना एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध होगा।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

सरकार उन एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं

2019-20 के दौरान सरकार 4 नए दूतावास खोलेगी

17 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा

भारतीय विकास सहायता योजना (आईडियाज) में बदलाव किया जाएगा

प्रविष्टि तिथि: 05 JUL 2019 1:40PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उन एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं। उन्होंने एक मिशन लांच करने का प्रस्ताव दिया, जो भारतीय पारम्परिक कारीगरों और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। जहां भी आवश्यकता होगी इनके लिए पेटेंट और भौगोलिक संकेतक प्राप्त किए जाएगे।

भारत के सॉफ्ट पॉवर की विभिन्न तरीकों से सराहना की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 192 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ को 40 देशों में उनके प्रमुख कलाकारों द्वारा गाया जा रहा है। वार्षिक ‘भारत को जानो’ क्विज प्रतियोगिता में न केवल एनआरआई बल्कि विदेशी भी भाग ले रहे है।

**4 नए दूतावास**

वित्त मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने दूतावास और उच्चायोग उन देशों में स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां अभी तक भारत का रेजीडेंट राजनयिक मिशन नहीं है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार 4 नए दूतावास स्थापित करेगी। इससे विदेश में भारत की उपस्थिति में विस्तार होगा तथा दूतावास स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी।

मार्च, 2018 में सरकार ने अफ्रीका (रंवाडा, दिजिबाउती, इक्वेटेरियल ग्वीनिया, ग्वीनिया, कांगो गणराज्य, बुरकीना फासो, कैमरून, मॉरीटेनिया, केप वर्दे, सियरा लियोन, चाड, साओ तोम तथा प्रिंसिप, इरीट्रिया, सोमालिया, ग्वीनिया बिसाउ, स्वाजीलैंड, लाईबेरिया और टोगो) में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन स्थापित करने की मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रंवाडा, दिजिबाउती, इक्वेटेरियल ग्वीनिया, ग्वीनिया गणराज्य और बुरकीना फासो में 5 दूतावास खोले जा चुके है।

**आईडियाज**

वित्त मंत्री ने कहा कि प्राचीन बुद्धिमता को ध्यान में रखते हुए भारत ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से देशों के साथ आर्थिक सहयोग की नीति का पालन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार वैकल्पिक विकास मॉडलों पर ध्यान देगी। इनमें निजी क्षेत्र हिस्सेदारी, बहुपक्षीय वित्त पोषण, कॉरपोरेट और अनिवासी भारतीयों द्वारा योगदान शामिल है। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि आईडियाज योजना की चालू वित्त वर्ष में पुनर्संरचना की जाएगी। भारतीय विकास सहायता योजना (आईडियाज) विकासशील देशों में ढांचागत संरचना विकास तथा क्षमता निर्माण की परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर धनराशि उपलब्ध कराती है।

**आइकॉनिक पर्यटन केन्द्र**

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 17 आइकॉनिक पर्यटन केन्द्रों को विश्व स्तरीय गंतव्यों के रूप में विकसित कर रही है, जो अन्य पर्यटन केन्द्रों के लिए एक आदर्श केन्द्र साबित होगा। इससे पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और इन स्थलों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

**जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का डिजिटल भंडार**

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल भंडार का विकास किया जा रहा है, जहां दस्तावेज, लोक गीत, तस्वीर और वीडियो डिजिटल रूप में रखे जाएंगे। डिजिटल भंडार में जनजातियों के विकास, उद्गम, जीवन पद्धति, स्थापत्य कला, शैक्षणिक स्तर, पारम्परिक कला, लोक नृत्य आदि को संरक्षित किया जाएगा।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

तीव्र विकास सुनिश्चित करने तथा ट्रैकों, रॉलिंग स्टॉक के निर्माण को पूरा करने और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया गया

उपनगरीय रेलवे में निवेश के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का प्रस्ताव

केन्द्रीय बजट में सरकार ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना को 2022 तक पूरा करने का वादा किया

रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम इस वर्ष शुरू किया जाएगा

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि तीव्र विकास सुनिश्चित करने तथा ट्रैकों, रॉलिंग स्टॉक के निर्माण को पूरा करने और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुमान है कि 2018-2030 के बीच रेल अवसंरचना के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये है। सभी मंजूर परियोजनाएं पूरी करने में कई दशक लग जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल की उपनगरीय तथा लंबी दूरी वाली सेवाएं मुंबई जैसे महानगरों और छोटे शहरों में चमत्कारी कार्य कर रही हैं। रेलवे को दिल्ली-मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी विशेष प्रयोजन साधन संस्थाओं के लिए उप-शहरी रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि हम 2022 तक डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर परियोजना को पूरा कर लेंगे, जो रेल यात्रियों के लिए मौजूदा रेलवे नेटवर्कों को मुक्त रखेगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

सरकार, देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्‍साहित करेगी

महिला स्‍व–सहायता समूहों के लिए ब्‍याज सब्सिडी कार्यक्रम का सभी जिलों में विस्‍तार किया जाएगा

जन-धन बैंक खाते वाली स्‍व-सहायता समूह की प्रत्‍येक महिला सदस्‍य को 5,000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी

मुद्रा योजना के तहत प्रत्‍येक स्‍व-सहायता समूह की एक महिला सदस्‍य 1,00,000 रुपये तक का कर्ज प्राप्‍त कर सकेगी

सरकार, देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्‍साहित करना चाहती है। केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास गाथा में और विशेषकर ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था में महिलाओं की भूमिका एक सुखद अध्‍याय है। वित्‍त मंत्री ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मूल्‍यांकन और कार्य योजना सुझाने के लिए सरकार और निजी हित धारकों के साथ विस्‍तृत आधार वाली समिति गठित करने का प्रस्‍ताव किया। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि बजट का लिंग आधारित विश्‍लेषण बजटीय आबंटन जांच के लिए है। लैगिंक आधार दशकों से इसका पैमाना रहा है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की व्‍यापक भागीदारी से ही भारत तेजी से विकास कर सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में स्‍वामी रामकृष्‍ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गये पत्र का उल्‍लेख करते हुए कहा,“नारी की स्थिति सुधारे बिना संसार का कल्याण नहीं हो सकता। किसी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।” यह सरकार मानती है कि हम महिलाओं की और अधिक भागीदारी से ही प्रगति कर सकते हैं।

**महिला स्‍व-सहायता समूह**

वित्‍त मंत्री ने जन-धन बैंक खाताधारी प्रत्‍येक महिला एसएचजी सदस्‍य को 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति देने का प्रस्‍ताव किया। उन्‍होंने कहा कि महिला स्‍व-सहायता समूहों के लिए ब्‍याज सब्सिडी कार्यक्रम का विस्‍तार सभी जिलों में करने का भी प्रस्‍ताव किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रत्‍येक महिला एसएचजी में एक महिला सदस्‍य को मुद्रा योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये तकका ऋण उपलब्‍ध कराया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि सरकार ने मुद्रा, स्‍टैंड अप इंडिया और स्‍व-सहायता समूह (एसएचजी) के माध्‍यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्‍साहित करने की व्‍यवस्‍था की है।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

भारत अपनी अंतरिक्ष क्षमता का वाणिज्यिक लाभ पाने की दिशा में आगे बढ़ेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को यह काम सौंपा गया

कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों का वाणिज्यीकरण करेगी

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को अंतरिक्ष विभाग की एक नई वाणिज्यिक इकाई के रूप में शुरू किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं वैश्विक कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग हो। एक सरकारी क्षेत्र उद्यम अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों को काम में लाने के लिए अंतरिक्ष विभाग की नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है।

यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी। इसमें लांच व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार

सरकार ने अनेक श्रमिक कानूनों को सुसंगत बनाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव किया

एआई, बिग डाटा, वीआर, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक कौशलों को बढ़ावा दिया जाएगा

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा  कि स्टैंड-अप इंडिया से काफी लाभ हुआ है। देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से ऐसे हजारों उद्यमी उभरकर सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को कारोबार और उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पूंजी दी गई थी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों द्वारा मैले की सफाई करने वाली मशीनों और रोबोटों की खरीद सहित मांग आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अनेक श्रमिक कानूनों के स्थान पर उन्हें सुसंगत बनाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव कर रही है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया और रिटर्नों को दाखिल करने की प्रक्रिया का मानकीकरण सुनिश्चित होगा, जिससे विवादों में कमी होने की आशा है।

कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। यह गति और अन्य स्तरों के साथ बहुतायत में कौशलयुक्त जनशक्ति सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान यह दर्शाते हैं कि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी। विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने युवाओँ को तैयार करने के लिए, हम भाषा प्रशिक्षण सहति, विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देने पर बल देंगे। हम कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टीफिशल इंटेलीजेंस) (एआई), कम्प्यूटर संबंधी उपकरण, बना डाटा 3डी प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग के कौशलों पर भी ध्यान देंगे जिसकी देश और विदेश में काफी मांग है और ये काफी ज्यादा पारिश्रमिक प्रदान करते हैं।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन योजनाओं के लिए सभी क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों के लिए, सरकार का अंशदान 2016-17 के 8 प्रतिशत से बढ़कर 01.04.2018 को 12 प्रतिशत हो गया है। इस कदम के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लाभांवितों की संख्या में लगभग 88 लाख की वृद्धि हुई है। 31-03-2019 तक, योजना के तहत कुल 1,18,05,000 व्यक्ति और 1,45,512 संस्थाएं लाभान्वित हुए हैं।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित

स्‍कूली और उच्‍च शिक्षा में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति

महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए राष्‍ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) का गठन करने की घोषणा

खेलो इंडिया के तहत खिलाडि़यों के विकास के लिए राष्‍ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा

देश में विश्‍व स्‍तरीय शिक्षा संस्‍थान बनाने के लिए सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है।  केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी।

वित्‍त मंत्री ने आश्‍वस्‍त किया कि सरकार देश की उच्‍च शिक्षा प्रणाली को विश्‍व की एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी। नई नीति में स्‍कूली और उच्‍च शिक्षा दोनों में बड़े बदलाव का प्रस्‍ताव किया गया है, जिसमें अन्‍य बातों के अलावा बेहतर प्रशासन तथा अनुसंधान और नवाचार पर भी जोर दिया गया है।

वित्‍त मंत्री ने अनुसंधान और नवाचार के उद्देश्‍यों की पूर्ति के तहत अनुसंधान कार्यों के वित्‍त पोषण, समन्‍वय और प्रोत्‍साहन के लिए राष्‍ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) क गठन किये जाने की भी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि एनआरएफ यह सुनिश्चित करेगा कि देश में राष्‍ट्रीय प्राथमिकताओं और मूल विज्ञान के विषयों पर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रयासों और खर्चों में दोहराव के बिना सशक्‍त बनाया जा सके। उन्‍होंने कहा कि अनुसंधान कार्यों के लिए सभी मंत्रालयों में उपलब्‍ध कोष को एनआरएफ में समायोजित किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्‍त धन की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था भी की जाएगी।

श्रीमती सीतारामन ने ‘स्‍टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसका मुख्‍य उद्देश्‍य विदेशी छात्रों को भारत के उच्‍च शिक्षा संस्‍थाओं में पढ़ने के लिए प्रोत्‍साहित करना है। उन्‍होंने कहा कि भारतीय उच्‍च शिक्षा आयोग के गठन के लिए एक बिल का मसौदा आने वाले साल में पेश किया जाएगा। इससे उच्‍च शिक्षा प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाने,  शिक्षा संस्‍थान ज्‍यादा स्‍वायत्ता देने तथा बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्‍त करने में मदद मिलेगी।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का पर्याप्‍त वित्‍तीय मदद के साथ विस्‍तार किया जाएगा और सभी स्‍तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस योजना के तहत खिलाडि़यों के विकास के लिए राष्‍ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।

सरकार की हाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्‍होंने कहा कि जहां पांच साल पहले तक एक भी भारतीय शिक्षा संस्‍थान विश्‍व के 200 शीर्ष विश्‍वविद्यालयों की सूची में नही था, वही आज देश के दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान तथा बेंगलूरू के भारतीय विज्ञान संस्‍थान ने आज इसमें अपनी जगह बना ली है। उन्‍होंने कहा कि देश की शिक्षा संस्‍थाओं द्वारा गुणवत्‍ता में सुधार तथा अपनी विश्‍वसनीयता को बेहतर तरीके से स्‍थापित करने के कारण ही यह संभव हो पाया है।

श्रीमती सीतारामन ने शिक्षा नीति का और ब्‍यौरा देते हुए कहा कि ‘**स्‍वयं’** के जरिये की गई ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम की पहल ने छात्र समुदाय के वंचित वर्ग के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने में काफी मदद की है। उच्‍च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण गुणवत्‍ता को बढ़ाने के लिए वैश्विक अकादमिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य विश्‍व स्‍तर पर उपलब्‍ध वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं तक पहुंच बनाना है। उन्‍होंने कहा कि  देश की जरूरतों के अनुरूप कुछ विशेष क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से निपटने की एक प्रभावी रूपरेखा तय करने के लिए **प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना** )इम्प्रिंट(  की शुरूआत आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्‍त पहल के रूप में की गई है। देश के उच्‍च शिक्षण संस्‍थान अब नवाचार का केन्‍द्र बनते जा रहे है।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सूचीबद्ध उपक्रमों के लिए जनता की 25 प्रतिशत भागीदारी के मानक को पूरा करने के लिए आवश्‍यक कदम

सरकार विदेशी बाजारों में सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्‍से को बढ़ाएगी

नेत्रहीन व्‍यक्तियों के लिए आसानी से पहचान में आने वाले एक,  दो, पांच, 10 और 20 रुपए के नये सिक्‍के इस्‍तेमाल के लिए जल्‍दी ही उपलब्‍ध

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नागरिकों की बेहतर भागीदारी और सूचीबद्ध पीएसयू को अधिक व्‍यावसायिक और बाजारोन्‍मुख व्‍यवस्‍था के लिए सरकार का हर आवश्‍यक कदम उठाने का प्रस्‍ताव है, ताकि सूचीबद्ध पीएसयू के लिए जनता की 25 प्रतिशत भागीदारी के मानक को पूरा किया जा सके और विदेशी भागीदारी की सीमा को सभी पीएसयू कंपनियों की इजाजत योग्‍य सीमा तक लाया जा सके, जो उभरते हुए बाजार सूचकांक का हिस्‍सा हैं। केंद्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए यह बात कही।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आसानी से पहचान में आने वाले एक, दो,पांच, 10 और 20 रुपए के नये सिक्‍के इस्तेमाल के लिए जल्दी ही उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने 7 मार्च, 2019 को ये सिक्‍के जारी किये थे। ये नये सिक्‍के जल्‍दी ही जनता के लिए उपलब्‍ध होंगे। जीडीपी में भारत का सोवरन ऋण दुनिया भर में सबसे कम है जो 5 प्रतिशत से भी कम है। सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्‍से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर भी लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

कंपनी कर की 25 प्रतिशत न्यूनतम दर को 400 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए लागू किया गया, जबकि पहले इसकी सीमा 250 करोड़ रुपये थी

कर विवरणी भरने के लिए पैन और आधार में से किसी एक के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसी बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस

कर विवरणी भरने के क्रम में सटीकता बढ़ाने और समय घटाने के लिए कर दाताओं को पहले से भरी गई कर विवरणी उपलब्ध कराई जाएगी

अवांछित चलनों को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में फेसलेस असेसमेंट की योजना शुरू की जाएगी

50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए कम लागत वाली डिजिटल भुगतान सुविधा दी जाएगी; ग्राहकों/व्यापारियों पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं लगाया जाएगा

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनी कर की 25 प्रतिशत न्यूनतम दर को 400 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए लागू किया जाएगा। फिलहाल, 250 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए यह दर लागू है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 99.3 प्रतिशत कंपनियां इसमें शामिल होंगी। अब केवल 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही इस दर से अलग होंगी।

**पैन – आधार में से एक के बदले दूसरे के इस्तेमाल का प्रस्ताव**

इस बजट में पैन और आधार में से किसी एक को इस्तेमाल में लाने का भी प्रस्ताव किया गया है और जिनके पास आयकर विवरणी भरने के लिए पैन न हो उन्हें अपना आधार नम्बर उल्लिखित करने की अनुमति दी जाएगी और वे पैन के स्थान पर इसका उल्लेख कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 120 करोड़ से अधिक देशवासियों के पास आधार उपलब्ध हैं। आयकर दाताओं की सुविधा और आसानी के लिए यह प्रस्ताव किया गया है।

**पहले से भरी गई आयकर विवरणी**

वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर दाताओं को पहले से भरी गई कर विवरणी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वेतन से आय, प्रतिभूतियों से पूंजीगत प्राप्तियां, बैंक से मिले ब्याज और लाभांश तथा कर में कटौतियों का विवरण शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, म्युचुअल फंडों, ईपीएफओ, राज्य पंजीकरण विभागों आदि जैसे संबंधित स्रोतों से ऐसे आय के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल आयकर विवरणी भरने में लगने वाले समय में कमी आएगी, बल्कि आय और करों की प्रस्तुति में सटीकता भी सुनिश्चित होगी।

**अवांछित चलनों की समाप्ति के लिए फेसलेस ई-असेसमेंट**

अपने भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग में असेसमेंट की जांच की मौजूदा प्रणाली में करदाता और विभाग के बीच काफी व्यक्तिगत संपर्क शामिल है, जिससे कर अधिकारियों की ओर से कुछ अवांछित व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। ऐसे चलनों को समाप्त करने के लिए तथा प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक विधि से फेसलेस असेसमेंट की एक योजना शुरू की जा रह है, जिसमें कोई व्यक्ति आमने-सामने नहीं होगा।

**डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपाय**

इस बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की नकद निकासी की जाएगी तो 2 प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाएगी। डिजिटल भुगतान और कम नकद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा डिजिटल भुगतान पर जोर देने के लिए हाल में उठाए गए अनेक कदमों से आगे बढ़ते हुए यह प्रस्ताव किया गया है।

भीम यूपीआई, यूपीआई-क्यूआर कोड, आधार पे, कुछ डेबिट कार्डों, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे कम लागत वाले डिजिटल भुगतानों से कम नकद वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार के लिए उनके ग्राहकों को कम लागत वाले अथवा बिना लागत वाले डिजिटल भुगतान की पेशकश की जाएगी अथवा ग्राहकों के साथ-साथ व्यापारियों को एमडीआर का लाभ दिया जाएगा।

**सरल और आसान जीवन**

यह बताते हुए कि ‘कर भुगतान’ की श्रेणी के तहत भारत की कारोबारी सुगमता का दर्जा 2017 के 172 से बढ़कर 2019 में 121 हो गया, वित्त मंत्री ने कहा कि उपर्युक्त उपायों से करदाताओं को अनुपालना में आसानी होगी।

**\*\*\*\***

वित्‍त मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्‍य वर्ष 2020 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्‍य हासिल करना

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) में 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक के बजट से अगले 5 वर्ष में 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा

वर्ष 2022 तक प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने के लिए स्‍वच्‍छ ईंधन की सुविधा होगी

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)** का उद्देश्‍य 2020 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्‍य को हासिल करना है। लोकसभा में आज 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए उन्‍होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 2019-22 तक पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास पात्र लाभान्वितों को प्रदान करने का प्रस्‍ताव रखा गया है। इन आवासों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्‍शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)**के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई-III में अगले 5 वर्ष में 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि रिहायशों में चौ‍तरफा कनेक्टिविटी हासिल करने की गति तेज करने के लिए इन्‍हें पूरा करने का लक्ष्‍य 2022 से कम करके 2019 कर दिया गया है और सभी को यह जानकर खुशी होगी कि ऐसी रिहायशों में 97 प्रतिशत से अधिक ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिस पर किसी भी मौसम का असर न हो। ऐसा पिछले 1000 दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है। उन्‍होंने कहा कि निरंतर विकास के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पीएमजीएसवाई की 20,000 किलोमीटर सड़कों का हरित प्रौद्योगिकी, कचरे वाला प्‍लास्टिक और कोल्‍ड मिक्‍स टेकनोलॉजी का इस्‍तेमाल करते हुए निर्माण किया गया है, जिससे कार्बन पदचिन्‍ह कम हुए हैं।

**उज्‍ज्‍वला और सौभाग्‍य योजना** के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं ने प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार का जीवन बदल दिया है और 2020 तक भारत की आजादी के 75 वर्ष होने पर प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और स्‍वच्‍छ खाना पकाने की सुविधा होगी। एलपीजी के 7 करोड़ से अधिक कनेक्‍शनों का प्रावधान करने से खाना पकाने की स्‍वच्‍छ गैस तक परिवारों की पहुंच का अभूतपूर्व विस्‍तार हुआ है। देश भर के सभी गांवों, और लगभग शत-प्रतिशत परिवारों को बिजली प्रदान की गई है। श्रीमती सीतारामन ने देशवासियों को आश्‍वासन दिया कि केवल ऐसे परिवार जो गैस कनेक्‍शन लेने के इच्‍छुक नहीं हैं, उन्‍हें छोड़कर प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की स्‍वच्‍छ सुविधा होगी।

**\*\*\*\***